वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

रावतभाटा रोड, कोटा

डिप्लोमा इन मॉस कम्यूनिकेशन

डीएमसी-04

मीडिया कानून

विषय

इकाई 1	**:**	**भारतीय संविधान व अधिकार**
इकाई 2	**:**	**संसदीय विशेषाधिकार**
इकाई 3	**:**	**मीडिया की स्वतंत्रता व सूचना का अधिकार**
इकाई 4	**:**	**पत्रकारों के अधिकार**
इकाई 5	**:**	**प्रेस की स्वतंत्रता व नैतिकता**
इकाई 6	**:**	**मीडिया और गोपनीयता**

4

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

प्रो विनय कुमार पाठक
कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो एलआर गुर्जर
अध्यक्ष
वमखुवि, कोटा

प्रो एचबी नंदवाना
निदेशक, सतत शिक्षा विभाग
वमखुवि, कोटा

संयोजक एवं सदस्य

संयोजक
डॉ सुबोध कुमार
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
वर्धमान महावीर खुला
विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य
1. प्रो रमेश जैन
ई- 51, चितरंजन मार्ग
सी-स्कीम जयपुर- 302001

2. प्रो राम मोहन पाठक
पूर्व निदेशक, महामना मदन मोहन
मालवीय हिन्दी पत्रकारिता संस्थान,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी- 221002

3. डॉ गिरिजा शंकर शर्मा
विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं
जनसंचार विभाग, के एनआईडी
भीमराव अंबेडकर विवि
आगरा- 282004

4. श्री अखिलेश कुमार सिंह
वरिष्ठ पत्रकार, टाइम्स आफ इंडिया
101, श्री अपार्टमेंट, सी- 147,
दयानंद मार्ग, तिलक नगर, जयपुर
(राजस्थान)

5. श्री राजीव तिवारी
स्टेट हेड, राजस्थान पत्रिका
प्लाट नंबर- 4 चितरंजन लेन,
पृथ्वीराज रोड, सी स्कीम, जयपुर

6. श्री सनी सेबेस्टियन
कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता
एवं जनसंचार विश्वविद्यालय,
सवाई रामसिंह रोड, जयपुर

7. प्रो एचबी नंदवाना
निदेशक, सतत शिक्षा विभाग
वर्धमान महावीर खुला
विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड,
कोटा

8. डॉ रश्मि बोरा
क्षेत्रीय निदेशक, वर्धमान
महावीर खुला विश्वविद्यालय
उदयपुर क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर

संपादन एवं पाठ लेखन

पाठ लेखक
विजेश सैनी (4, 6) आयुष श्रीवास्तव (1,2,3,5)
रिसर्च स्कालर, पत्रकारिता विभाग
वमखुवि, कोटा

संपादक
डॉ सुबोध कुमार
संयोजक, पत्रकारिता विभाग
वमखुवि, कोटा

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो विनय कुमार पाठक	**प्रो एलआर गुर्जर**	**प्रो करन सिंह**	**डॉ सुबोध कुमार**
कुलपति	निदेशक अकादमिक	निदेशक, एमपीडी	अतिरिक्त निदेशक, एमपीडी
वमखुवि, कोटा	वमखुवि, कोटा	वमखुवि, कोटा	वमखुवि, कोटा

उत्पादन – मुद्रण जनवरी 2015 **ISBN -978-81-8496-493-6**

इस सामग्री के किसी भी अंश की वमखुवि, कोटा की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफी (चक्रमुद्रण) द्वारा अन्यत्र प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

वमखुवि, कोटा के लिए कुलसचिव वमखुवि, कोटा द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

इकाई-1

भारतीय संविधान व अधिकार

इकाई की रूपरेखा

1.1 उद्देश्य

1.2 प्रस्तावना

1.3 मौलिक अधिकारों की अवधारणा

1.4 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा

1.5 राज्य नीति निदेशात्मक तत्वों की अवधारणा

1.6 सारांश

1.7 अभ्यासार्थ

1.8 उपयोगी पुस्तकें

1.1 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरांत हम निम्न तथ्यों से परिचित हो जाएंगे।

- मौलिक अधिकारों की अवधारणा की चर्चा करना।
- मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण करना।
- वाक्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करना।
- संवैधानिक प्रत्याभूतियों और सीमाओं को वाक्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करना।
- राज्य नीति के निदेशात्मक तत्वों की चर्चा करना।

1.2 प्रस्तावना

मित्रों हमने जनसंचार के डिप्लोमा कार्यक्रम में जनसंचार , विज्ञापन एवं जनसंपर्क तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना और समझा| मित्रों अब हम मीडिया कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे| इस इकाई में हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों और कर्तव्यों की चर्चा करेंगे| आइए मित्रों पढ़ाना शुरू करते हैं?

भारतीय संविधान के अंतर्गत कई प्रकार के अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य लोकतंत्र में स्वतंत्रता और सौहार्द बनाएं रखना है। अगर बात संविधानिक ढांचे की करें तो पूरा संविधान ही जनमानस को स्वतंत्रता से जीवन जीने की आजादी प्रदान करता है। पर मूल आधार मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं जो कि नागरिकों को सरकार के विरूद्ध प्राप्त हैं। इन अधिकारों के जरिए देश के नागरिक अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और अपने मत की सरकार चुन सकते हैं। इन्हीं अधिकारों के अंतर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को मिला हुआ है, जिस अधिकार के जरिए लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाने वाला मीडिया अपनी आधारशिला जमाये हुए है|

संवैधानिक अधिकार नागरिकों को लोकतंत्र में अपनी पहचान को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं। संवैधानिक अधिकार देश की जनता को देश में अपने विचारों को प्रकट करने और दूसरों के विचारों को जानने तथा अपने मत से लोगों जोड़ने के लिए अधिकार प्रदान करते हैं| संवैधानिक अधिकारों में खास तौर पर मौलिक अधिकार आम जनमानस की आवाज हैं जो नागरिक को सरकार के विरुद्ध प्राप्त होतें है और जिनके हनन पर न्यायलय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है| भारतीय संविधान में कई खासियतें है जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किये हुए हैं जैसे संविधान का लचीलापन इसे जनता के लिए सहज और जरूरत के अनुसार परिवर्तनों को करने की सुविधा प्रदान किए हुए है। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों, 395 अनुच्छेद और 22 अध्यायों में लिखित रूप से सभी अधिकारों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संविधान में सरकार के संगठन, उसके अंगों और शक्तियों तथा कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यस्थापिका के गठन और नागरिकों को सरकार के विरूद्ध प्राप्त मौलिक अधिकारों को लिखित रूप में रेखांकित कर संविधान को मजबूती प्रदान की गई है।

1.3 मौलिक अधिकारों की अवधारणा

भारतीय संविधान की मुख्य अवधारण ही लोकतंत्र का निर्माण किये हुए है जो कि जनता के लिए सरकार, जनता के द्वारा सरकार और जनता की सरकार है। इस अवधारण का मूल मंत्र नागरिकों को संविधान के द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों के द्वारा प्रत्येक नागरिक को बहुत सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इन स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक किया गया है। मौलिक अधिकार नागरिकों को बहुमत निर्माण प्रक्रिया के क्रियान्वयन का अधिकार प्रदान कर तानाशाही के विरूद्ध आवाज उठाने तथा स्वतंत्र रूप से अपने मत की सरकार चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

मौलिक अधिकार स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच सामंजस्य बैठाकर मानवीय मूल्यों की पैरोकारी करते हैं। मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए तथा व्यक्ति या समाज को अवाज प्रदान करने में मौलिक अधिकारों की आधारशिला मील के पत्थर की भांति है। मौलिक अधिकारों ने मानवाधिकारों के रूप में व्यक्ति या समाज को पोषण प्रदान कर शोषण से बचाने का कार्य किया है। मौलिक अधिकारों का स्वरूप ही व्यक्ति के जीवन का सार है यह प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार प्रदान करके उसकी रक्षा के लिए अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकार समाज में आपसी मेज-जोल को बढ़ावा देते हैं और किसी भी धर्म को मानने या चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

इन अधिकारों के अंतर्गत वर्तमान में प्रत्येक नागरिक को बराबरी यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संविधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार प्रत्येक नागरिक के हितों के रक्षक है और उन्हें सरकार के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए बल प्रदान करते हैं।

1.3.1 मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

भारतीय संविधान में भाग तीन के अंतर्गत देश के नागरिकों को सात मौलिक अध्किार प्रदान किए गए थे। सन् 1779 में चवालिसवें संविधान संसोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया। इसके उपरांत छः मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं। यह छः अधिकार निम्नांकित हैं :-

1. समानता का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है इस मौलिक अध्किार के अंतर्गत नागरिकों को पांच प्रकार की समानताओं का अधिकार प्राप्त है। इसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में अवसरों की समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का मूलन तथा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत आदि शामिल हैं।

2. स्वतंत्रता का अधिकार

संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इन अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी भ्रमण और निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, जीवन और शरीर की रक्षा की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी व बंदी करण के विरूद्ध सुरक्षा तथा अपराध सिद्ध के विषय में स्वतंत्रता प्राप्त है।

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में के अंतर्गत नागरिकों शोषण के विरूद्ध अधिकार प्राप्त है इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है। इसमें किसी से बेगार कराना या बालश्रम को बढ़ावा देना या व्यक्तियों का क्रय-विक्रय करना निषेध है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

संविधान के अनंच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को चुनने की स्वतंत्रता है, धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, धर्म विशेष की उन्नति के लिए धन देने की स्वतंत्रता है तथा व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है और अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने और उनका शासन प्रसाशन करने का अधिकार प्राप्त है।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 32 में संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का शासन द्वारा उल्लंघन किए जाने के विरूद्ध नागरिकों को अपने प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा पांच प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं:-

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख
2. प्रतिबद्ध लेख
3. अधिकार प्रज्ञा लेख
4. परमादेश लेख
5. उत्प्रेक्षण लेख

1.3.2 मौलिक कर्तव्य

भारतीय संविधान के मूल प्रारूप में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। वर्ष 1976 में संविधान में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में एक नया भाग 4 (अ) जोड़ा गया, जिससे अंतर्गत नागरिकों के दस कर्तव्यों की बात कही गई है।

1. भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, एसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करें।
3. भारत की एकता, अखण्डता और संप्रभुता की रक्षा करें।
4. देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के नागरिकों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें।
6. समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरपा की रक्षा करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्रायणियों के प्रति सदभाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवाद और ज्ञानार्जन का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे व हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें।

1.3.2.1 मौलिक कर्तव्यों का महत्व

1. कर्तव्यों के अभाव में अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है।
2. नागरिकों में देश व समाज के प्रति दायित्वबोध आवश्यक है।
3. जापान, इटली, सोवियत रूस, चीन व अन्य योरोपीय देशों के संविधान में मूल-अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख है।
4. लोकतंत्र की सफलता के लिए अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी समावेश आवश्यक है।
5. देश की सुरक्षा के लिए कर्तव्यों का पालन आवश्यक होता है।

1.3.2.2 मौलिक अधिकारों की आलोचना

1. संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है।
2. अनेक मौलिक कर्तव्य अत्यधिक आदर्शवादी है।
3. विधि-वेत्ताओं के अनुसार मूल कर्तव्यों की आड़ में शासक वर्ग आमजनमानस का उत्पीड़न कर सकता है।
4. कर्तव्यों के उल्लघन पर किसी दण्ड का प्रावधान नहीं है। सामान्यतया लोग इनका पालन नहीं करते हैं।
5. मौलिक कर्तव्यों की जानकारी अधिकतर आम नागरिकों को नहीं है।

1.4 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा

भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें बोलने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता को उच्च स्थान प्रदान किसा गया है। चवालिसवें संविधान संशोधन के बाद सात में से बचे छः अधिकारों में प्रथम वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। लोकतंत्र में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का

अधिकार होना आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में जो बोलकर, लिखकर, हाव भाव द्वारा प्रकट करके जो विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है वह वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल रूप होता है। सब स्वतंत्रताओं में इसका स्थान सर्वोपरि इसलिए है कि बिना बोले या विचार प्रकट किए कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को प्रेषित नहीं कर सकता है।

लोकतंत्र की बात करे तो ऐसा तंत्र जिसमें जनता सर्वोपरि होती है, हर नागरिक को न केवल अपनी इच्छा से सरकार चुनने का अधिकार होता है बल्कि वह अभिव्यक्ति के माध्यम से देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी प्रकार के मामलों में अपना मत प्रकट करने का अवसर पाता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विचार प्रकट कर दूसरे को प्रभावित करने के अधिकार के साथ दूसरों के विचारों को जानने का अधिकार होता है इससे व्यक्ति समस्त बातों से अवगत होकर किसी भी बात पर अपना मत प्रकट कर अपने करने के लिए स्वतंत्र होता है।

व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग कर व्यक्ति अपनी सरकार चुन सकता है तथा चुनी गई सरकार की नीतियों का विरोध कर सकता है। वा्क और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत व्यक्ति किसी भी विचार पर मत संग्रह कर सकता है और मत संग्रह कर उसका प्रकाशन कर प्रचार प्रसार कर सकता है। व्यक्ति किसी के विचार को खंडित कर अपना विचार उस मुद्दे पर रख सकता है किसी भी विचारधारा से अपने को जोड़ सकता है। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक रूप में केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। देश का प्रत्येक नागरिक इस अधिकर का प्रयोग करके अपने विचार और मत को प्रकट कर सकता है। यह अधिकार स्वतंत्रता का मूल मंत्र भी है।

1.4.1 संवैधानिक प्रत्याभूतियां और सीमाएं

वाक् और अभिव्यक्ति की बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत विचार मौर मत प्रकट करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को लोकतंत्र में सक्रिय बनाती है। किंतु समाज की कुछ मर्यादाएं भी निर्धारित की गई हैं जिनसे समाज में स्वस्थ और मैत्री पूर्ण माहौल बना रहे। इसके लिए हर एक विचार और भाव या प्रस्तुतीकरण ऐसा जिससे किसी व्यक्ति या समाज का अपमान या मानसिक या शारीरिक ह्रास न हो। इसके लिए मानहानि और अवमाना जैसे कानून बनाएं गए जिससे स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सके।

मानहानि से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति या समाज को सामाजिक तौर पर कोई भी व्यक्ति या समाज अपमानित करे या उसके विरूद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिससे उसके सम्मान या अस्मिता को हानि पहुंचे तो वह इसके विरूद्ध न्यायालय में सिकायत कर मानहानि का दावा प्रस्तुत कर सकता है। अवमानना से तात्पर्य है कि यदि न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय के विरूद्ध उससे बड़े न्यायलय में ता दावा प्रस्तुत किया जा सकता है पर जनता में उसका

विरोध करना कानूनी अपराध है और या न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी और इसके लिए न्यायालय उस व्यक्ति विशष या समुदाय को दण्डित कर सकता है।

संवैधानिक प्रत्याभूतियों की इस प्रकार की कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिससे समाज में स्वस्थ अभिव्यक्ति को स्थान मिल सके। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए की सीमाओं का निर्धारण कुछ इस प्रकार किया गया है कि देश और समाज में संतुलन बना रहे और किसी भी व्यक्ति की अनावश्यक स्वतंत्रता न प्रभावित हो सके।

1.5 राज्य नीति निदेशात्मक तत्वों की अवधारणा

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जन कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्था को आधार प्रदान करते हैं। राज्य के सामाजिक निर्माण में नीति निर्देशक तत्वों की महती भूमिका है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. *राजेन्द्र प्रसाद* के अनुसार राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्था का निर्माण करना है। संविधान के भाग चार और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है किंतु यह तत्व राज्य के शासन को चलाने के लिए आधार भूत सिद्धांत के रूप में हैं। राज्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह नीतियों का निर्माण करने में नीति निर्देशक तत्वों को आधार प्रदान करे। इन तत्वों के अनुरूप नीतियों का निर्माण कर जन काल्याण को प्राथमिता प्रदान करे।

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नांकित 12 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः-

1. लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले तत्व।
2. ग्राम पंचायतों का गठन करने वाले तत्व।
3. नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा, न्याय एवं उचित काम की व्यवस्था प्रदान करने वाले तत्व।
4. श्रमिकों के लिए उचित वेतन और सुविधाओं की व्यवस्था के निर्देश।
5. जनसाधारण के स्वास्थ्य और इलाज का ध्यान रखने वाले तत्व।
6. स्त्रियों को प्रसूति-व्यवस्था में सहायता देने वाले निर्देश।
7. दलित वर्ग का उत्थान करने वाले तत्व।
8. अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने वाले तत्व।
9. कृषि तथा पशुपालन के सुधार की ओर ध्यान देने वाले तत्व।
10. राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करने वाले तत्व।
11. कानून व्यवस्था का संचालन लोकतांत्रिक भावना से करने वाले तत्व।
12. अंतराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करने वाले तत्व।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य की बजट क्षमता पर निर्भर करते हैं इनकों लागू करने के लिए सरकार पर वाद नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है यह सरकार के विवेक पर निर्भर है कि वह जन कल्याण के लिए इनका प्रयोग करती है या नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी न होन के बावजूद भी जनमत की शक्ति इंहें जन काल्याण के लिए लागू करने पर सरकार को मानसिक रूप से बाध्य करती है। राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के पूरक यह तत्व राज्य की असीम धरोहर की भांति हैं जो राज्य को जनहित की ओर ले जाने का कार्य करते है। जन काल्याण की प्रमुख आधारशिला और राज्य को जन के प्रति उदार बनाने की क्षमता नीति निर्देश तत्व तय करते हैं।

1.5.1 राज्य नीति निदेशात्मक तत्वों और मौलिक अधिकारों में अतंर

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में सामान्यता बहुत से अंतर है पर इनके कुछ मूल बिंदुओं द्वारा मुख्य अंतरों को रूपष्ट किया जा सकता हैः-

1. मौलिक अधिकारों को लागू के लिए न्यायालय द्वारा सरकार को बाध्य किया जा सकता है पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है।
2. मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है और इसके हनन पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है पर नीति निर्देशक तत्व केवल नैतिक निर्देश मात्र हैं।
3. मौलिक अधिकार वर्तमान में प्रासंगिक होते हैं पर नीति निर्देशक तत्व भविष्य के लिए आदेश मात्र होते हैं।
4. मौलिक अधिकारों का क्षेत्र सीमित है किंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र असीमित है।
5. आपातकालीन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधंन लगाया जा सकता है पर नीति निर्देशक तत्व आपातकान के दौरान भी राज्य को निर्देश दे सकते हैं।
6. मौलिक अधिकारों का संबंध सीधा नागरिकों से है जबकि नीति निर्देशक तत्वों का संबंध राज्य से है।
7. मौलिक अधिकार सामाजिक व राजनैतिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देश तत्व राजनीतिक, आर्थिक और सास्कृतिक विकास पर बल देते हैं।

1.6 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किये गए मौलिक अधिकारों के बारे जानकारी प्राप्त की, साथ ही यह भी जाना की मौलिक अधिकारों के द्वारा कोई नागरिक स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकता है| इकाई में मौलिक अधिकारों के प्रकार को समझने के बाद आप यह जान गये होंगे की भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को सरकार के विरुद्ध प्राप्त है| इकाई में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे जानने के उपरांत इस मौलिक अधिकारों का मीडिया के लिए उपयोग भी समझ में आ गया होगा और यह जानकारी हो गई होगी कि मीडिया को कोई विशेष अधिकार नहीं मिला है वह नागरिकों को प्राप्त वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जरिए ही संचालित होती है|

इकाई में संवैधानिक प्रत्याभुतियों और सीमाओं के बारे में जानने के बाद यह पता चल गया होगा कि किस प्रकार से स्वतंत्रता को नैतिकता का सार प्रदान किय जाता है| राज्य के निति निदेशक तत्वों के बारे में पढ़ने के बाद इस बात का पता चलता है की हमारे राज्य की हमारे लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, तथा यह भी पता चलता है कि इन जिम्मेदारियों को राज्य अपनी सुविधा और राजस्व के अनुसार पूरा करने की कोशिश करता है पर राज्य को इसको पूरा करे के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है| इकाई में राज्य के निति निर्देश तत्वों और मौलिक अधिकारों में अंतर समझने के बाद आप इस बात से अवगत हो गए होंगे कि मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायलय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है पर यदि राज्य के निति निर्देश तत्वों में दि गई जिम्मेदारियों से राज्य पीछे हट जाए तो उसपर कोई वाद न्यायलय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है|

1.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

- संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 किस बात का वर्णन है?
- संविधान के अनुच्छेद 32 में किस अधिकार को प्रदान किया गया है?
- अनुच्छेद 19(1) क्या है?

लघु उत्तरीय प्रश्न

2. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित कीजिए?

3. राज्य नीति निदेशात्मक तत्वों और मौलिक अधिकारों में अतंर बतलाइए|

4. मौलिक कर्तव्यों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए|

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

5. मौलिक अधिकारों की अवधारणा क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण कीजिए।

6. वाक्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? संविधानिक प्रत्याभूतियों और सीमाओं को वाक्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित कीजिए।

7. राज्य नीति के निदेशात्मक तत्वों का वर्णन कीजिए।

1.8 उपयोगी पुस्तकें

1. द्विवेदी, मनीषा (2006). पत्रकारिता एवं प्रेस कानून. नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर.

2. प्रो. त्रिखा, नंदकिशोर (2007). प्रेस विधि. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन.

इकाई 2

संसदीय विशेषाधिकार

इकाई की रूपरेखा

2.1 उद्देश्य

2.2 प्रस्तावना

2.3 आपातकाल और राज्य के आपालकाल की अवधारणा

2.4 संसदीय और विधायिका विशेषाधिकार की अवधारणा

2.5 सारांश

2.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

2.7 उपयोगी पुस्तकें

2.1 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरांत हम निम्न तथ्यों से परिचित हो जाएंगे।

- आपात काल की अवधारण की चर्चा करना।
- भारत में आपातकाल से संबंधित संविधानिक प्रवधानों का वर्णन करना।
- आपातकाल के प्रवधानों का मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
- संसदीय और विधायिका विशेषधिकारों की चर्चा करना।
- मीडिया रिपोर्टिंग पर संसदीय और विधायिका विशेषधिकारों के प्रभाव का विश्लेषण करना।

2.2 प्रस्तावना

मित्रों पिछली इकाई में हमने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों यानि मौलिक अधिकार, कर्तव्यों, तथा निति निदेशक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की| इस इकाई के अंतर्गत हम संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे साथ ही आपातकाल के बारे में भी तथ्यों से अवगत होंगे| हम यह भी जानेगे कि संसदीय और विधायिका विशेषाधिकारों का मीडिया रिपोर्टिंग पर क्या प्रभाव पडता है! आइए मित्रों अब आगे पढ़ाना शुरू करते हैं :-

भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है इस स्वतंत्रता को जीवंत रूप प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों के द्वारा लिखित गारंटी दी गई है। इन अधिकारों के तहत प्राप्त अधिकारों के हनन के विरूद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। किंतु कुछ स्थितियों में इन अधिकारों को समाप्त करने का प्रवाधान भी संविधान में अल्लेखित है यह स्थिति देश में आपात की स्थिति कहलाती है और इस दौरान राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है। आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जो अचानक घटित होती है और तुरंत कार्यवाही की मांग करती है। यह स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति या वातावरण के लिए अचानक खतरा पैदा कर सकती है। अधिकतर आपतकाल तुरंत स्थिति को बिगाड़ देते हैं। बहुत सी स्थितियों में स्थिति को सुधारने के लिए समाधान नजर नहीं आता है। आपातकाल के समय संकट का समय कहा जाता है, इस समय सरकार द्वारा नागरिक अधिकारों यानी मीडिया और व्यक्ति के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। इस दौरान लोकतंत्र की सरकार राजतंत्र में तब्दील हो जाती है और प्रत्येक निर्णय वह अपने विवेक से लेती है इस समय उसके द्वारा लिए गए निर्णयों का विरोध नागरिक नहीं कर सकते हैं। सरकार इस दौरान सर्वोपरि हो जाती है और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। आपातकाल सरकार द्वारा किसी ऐसी स्थिति में लगाया जाता है जब सरकार को यह जगता है कि वाहय युद्ध के असार हैं या सशस्त्र विद्रोह के समीकरण बन रहे है ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपालकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषण हो जाने के उपरांत नागरिकों को प्राप्त सभी संविधानिक अधिकार समाप्त हो जात हैं और आपातकाल खत्म होने तक यह बरखास्त रहते हैं।

2.3 आपातकाल और राज्य के आपातकाल की अवधारणा

आपालकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब लगता है कि वाहय आक्रमण के आसार हैं या आंतरिक सशस्त विद्रोह के आसार बन रहे हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए देश के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। यह ऐसा समय काल है जिसमें आपदा से उबरने के लिए या आपातकाल से उबरने के लिए नियंत्रण व्यवस्था लागू की जाती है। आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जो अचानक घटित होती है और तुरंत कार्यवाही की मांग करती है। यह स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति या वातावरण के लिए अचानक खतरा पैदा कर सकती है। अधिकतर आपतकाल तुरंत स्थिति को बिगाड़ देते हैं। बहुत सी स्थितियों में स्थिति को सुधारने के लिए समाधान नजर नहीं आता है। आपातकाल का समय संकट का समय कहा जाता है, इस समय सरकार द्वारा नागरिक अधिकारों यानी मीडिया और व्यक्ति के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। इस दौरान लोकतंत्र की सरकार राजतंत्र में तब्दील हो जाती है और प्रत्येक निर्णय वह अपने विवेक से लेती है इस समय उसके द्वारा लिए गए निर्णयों का विरोध नागरिक नहीं कर सकते हैं। सरकार इस दौरान सर्वोपरि हो जाती है और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

अपातकालीन समय की घोषणा सरकार का निर्णय है जो सरकार के अनिवार्य कार्यों को स्थगित कर देता है। यह समय नागरिकों को उनके साधारण आचरण में बदलाव लाने के लिए सचेत करता है और सरकारी प्रतिनिधियों को आपातकालीन प्रवधानों को मुस्तैदी से लागू करने के आदेश देता है। यह समय संकट से देश को उबारने के लिए प्रयत्न करता है तथा आंतरिक और वाहय दोनों में किसी भी परिस्थिति के अनियत्रंण को नियत्रिंत करने के लिए अपनाया जाने वाला उपकरण है। किंतु कभी- कभी सरकारें अपने विरोध के स्वर को दबाने के लिए इस स्थिति को देश में लागू करके नागरिक और प्रेस की स्वतंत्रता को बर्खास्त करवा देती हैं और मनमानियों से जनता को नियंत्रित करती हैं।

2.3.1 भारतीय संविधान के तहत आपातकाल प्रावधान

भारत में आंतरिक या वाहय स्त्रोतों से संकट या वित्तिय संकट स्थितियों को खतरा मानते हुए राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संविधायिकाप्रावधान के तहत कैबिनेट के मंत्रियों की सलाह से संविधान में निहित शक्तियों के उपयोग से किसी राज्य या पूरे भारत में राष्ट्रपति नागरिकों के मौलिक अधिकारों को आपपत स्थिति बनी रहने तक समाप्त कर सकता है।

भारत की बात करें तो इतिहास के पन्नों में तीन समय हैं जब आपातकाल लगाया गयाः-

1. सबसे पहले 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के मध्य भारत और चीन के युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा और बाहरी आक्रमण से खतरे को ध्यान में रखते हुए इस समय आपतकाल घोषित किया गया था।

2. दूसरी बार आपातकाल दिसंबर 1971 में मूल रूप से भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा और बाहरी आक्रमण से खतरे को ध्यान में रखते हुए इस समय आपतकाल घोषित किया गया था।

3. तीसरी बार 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के मध्य प्रधानपंत्री इंदिरा गांधी पर चुनावों में गड़बड़ी के आरोप के सिद्ध होने पर हाईकोर्ट द्वारा उन पर छः वर्ष तक कोई पद भार न संभालने के प्रतिबंध को सुप्रमि कोर्ट में अपील करने और विवादास्पद परिस्थितियों के तहत भारत की सुरक्षा और आंतरिक अस्थिरता के चलते तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित कर दिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा तीन तरह से आपालकाल की घोषणा की जा सकती हैः-

1. राष्ट्रीय आपातकाल
2. राज्य आपातकाल
3. वित्तीय आपातकाल

राष्ट्रीय आपतकाल अनुच्छेद 352-राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत या देश के समस्थ क्षेत्र में घोषित किया जाता है। इस तरह के आपातकाल की घोषणा भारत की सुरक्षा या बाहरी आक्रमण के खतरे या सशस्त्र विद्रोह से देश को

बचाने के लिए की जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद के द्वारा लिखित अनुरोध पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इस तरह की घोषणा के बाद एक माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। इस तरह का आपातकाल छः माह के लिए लगाया जा सकता है और संसदीय अनुमोदन पर छः माह और बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के आपात की स्थिति में नागरिकों के सभी अधिकार निलंबित जा सकते हैं किंतु जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपात काल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के 66 विषयों पर कानून बनाएं जा सकते हैं। इसके अलावा सभी धन विधेयकों को मंजूरी के लिए संसद में भेजा जाता है। आपातकाल की स्थिति शुरू होने के छः माह के समयकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 -राज्य में आपात काल की स्थिति को राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन के नाम से भी जानते हैं इसमें राज्य की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन लगा दिया जाता है। भारत में इस तरह का शासन तब लगाया जाता है जब राज्य सरकार अपने कर्तव्य निर्वाह या बहुमत प्रस्तुत करने में विफल हो जाती है ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाती है। राज्य के राज्यपाल छः माह के लिए आपातकाल लगा सकते हैं और संसदीय अनुमोदन से इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा दंगों, नागरिक अशांति या सरकार के अल्पमत में आ जाने पर राज्य के राज्यपाल द्वारा आपात की स्थिति की घोषणा कर आपातकाल लगाया जा सकता है। आपात काल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के 66 विषयों पर कानून बनाएं जा सकते हैं।

वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360-वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तब करता है जब वह वित्तीय स्थिरता के विषय में प्रस्तुत तथ्यों से संतुष्ट हो जाता है। इस तरह की घोषणा के बाद दो माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। इस तरह की आपात स्थिति की घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। भारत में इस तरह के हालात एक बार उत्पन्न हुए थे पर इसका निवारण सोने को बेच कर किया गया था। वित्तिय आपात काल के दौरान राष्ट्रपति उच्चतम न्यायलय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन कम कर सकता है। इस दौरान विधान सभाओं द्वारा पारित सभी धन विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते है।

2.3.2 प्रेस की आचार संहिता, 1971

1971 में आपातकाल के दौरान भारतीय सरकार के द्वारा प्रेस सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने आपात स्थिति में प्रेस की आचार संहिता तैयार की।

-राष्ट्रहित की सूचनाओं का प्रकाशन करने और राष्ट्रहित के लिए हानिकारक सूचनाओं के प्रकाशन पर रोक लगाई।

-व्यवसायिक कार्तव्यों को पूरा करने के लिए गोपनीय सूचनाओं को एकत्र कर प्रकाशन करने पर रोक लगाई।

-जिन सूचनाओं से अफवाह फैलने की संभावना हो आम जनता में उन पर ढीली बात करने से बचने के लिए पत्रकारों को निर्देश जारी किए गए।

2.3.3 मीडिया की स्वतंत्रता पर आपातकाल के प्रावधान का प्रभाव

राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के आलावा मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रवधान संविधान में कहीं नहीं है। केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के दौरान ही नागरिकों या प्रेस की स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 में वर्णित प्रवधानों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ कर शेष सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि प्रेस के लिए मूलाधार है निलंबित कर दी जाती है जिससे प्रेस पर प्रतिबंध लग जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता इस दौरान पूरी तरह से बाधित हो जाती है और नागरिक अधिकारों के जरिए कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं कि जा सकता है। आपातकाल के दौरान मीडिया की सक्रियता समाप्त हो जाती है और मीडिया सरकार की किसी भी नीति पर बहस कराने और जनमानस की राय लेने में असमर्थ हो जाता है। किसी भी समाचार को प्रस्तुत करने का अधिकार मौलिक अधिकार के निलंबित होते ही खत्म हो जाता है। केवल वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं किया जाता है। इस आपातकाल केवल शक्तियों का विस्तार किया जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति और प्रेस दोनों ही स्वतंत्र बने रहते हैं और मौलिक अधिकार की प्रासंगिकता भी बनी रहती है।

संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपातकाल की घोषणा का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। संविधान में 44 वें संशोधन के बाद इस अनुच्छेद में यह उपनिबंध किया गया कि यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि देश में या किसी राज्यमें गंभीर आपात की स्थिति है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की अशंका है जिससे देश के किसी भी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह उद्घोषणा के द्वारा भारत या उसके किसी भी भाग में आपातकाल घोषित कर सकता है।

संविधान के 44 वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 358 के तहत 'जब आपात की उद्घोषणा इस संबंध में की जाए कि युद्ध या बाह्य आक्रमण से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है (सशस्त्र विद्रोहक आधार पर नहीं) अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे।' सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपात स्थिति में अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी मूल अधिकारके न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित कराने के अधिकार का निलंबन से संबंधित आदेश जारी कर सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों के निलंबन के वक्त सरकार प्रेस पर पूर्ण सेंसरशिप लागू कर सकती है और इस आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारत में अब तक तीन बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। सबसे पहले 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के वक्त बाह्य आक्रमण से भारत की सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई जो 10 जनवरी 1968 तक रही। इसके बाद सन् 1972 में पाकिस्तान द्वारा किए आक्रमण के वक्त 3 दिसंबर को

आपातकाल की घोषणा की गई। इसके बाद तीसरी बार 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति से देश की संरक्षा संकट होने के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया।

सन् 1975 में घोषित आपात स्थिति के वक्त समाचार-पत्रों पर कड़ी सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। सरकार ने 26 जून 1975 को प्रेस पर केंदीय सेंसरशिप आदेश तथा आपातकाल की स्थिति में प्रेस के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। सेंसरशिप संबंधी समाचारों, टिप्पणियों, अफवाहों या अन्य रिपोर्टों व दस्तावेजों के प्रकाशन को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रेस की शक्ति एवं महत्ता को आपातकाल के दौरान कुचलने का काफी प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत संपादकों तथा संवाददाताओं की गिरफ्तारी से लेकर समाचार-पत्रों के कार्यालयेंमे छापा मारना,विद्युत सप्लाई ठप्प कर देना, प्रेसों को बंद कराने के प्रयास करना आदि बातें सामान्य हो गई थीं। आपातकाल के दोरान जनमाध्यमों के इस उपयोग पर एक श्वेत पत्र अगस्त, 1977 में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 21 मई, 1977 को सरकार ने केके दास की अध्यक्षता में क सदस्यीय समिति गठित की। केके दास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव रह चुके थे। इस समिति ने 22 जून 1977 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में 16 अध्याय तथा 105 पृष्ठ हैं। रिपोर्ट में 24 परिशिष्ट भी संलग्न हैं।

2.4 संसदीय और विधायिका विशेषाधिकार की अवधारणा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद और अनुच्छेद 194 में विधानमण्डलों के विशेषाधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया है। दोनों ही अनुच्छेद समान हैं। इनमे दो विशेषाधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है, एक सदस्यों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता है इसका विनिमयन संसदीय प्रक्रिया संबंधी नियमों और स्थायी आदेशों (स्टैंडिंग आर्डर्स) के अध्याधीन किया जा सकता है। दूसरा संसद में या उसकी किसी समिति में कोई बात कहने या मतदान करने के कारण सांसदों पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। संसद द्वारा संसद के प्राधिकार के अधीन किसी रिपोर्ट, पत्र, मतों या कार्यवाही के प्रकाशन के सिलसिले में भी किसी व्यक्ति के विरूद्ध अदालती कार्यवाही नहीं की जा सकती है। लेकिन अन्य विशेषाधिकार का विसतृत निर्धारण या उल्लेख नहीं किया गया है न ही संविधान में ऐसा करना संभव होता है। अनुच्छेद 105 (3) में संसद और 194 (3) में विधानमंडलों में उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को कानून बनाकर परिभाषित करने का अधिकार संसद या विधानमंडल को दिया गया है। साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि जब तक संसद या विधानमंडल कानून बनाकर ऐसा नहीं करते तब तक उनकी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही होंगी जो संविधान के लागू होने के समय ब्रिटेन के हाउस आफ कामंस की थी। चौवालिसवें संविधान संशोधन में हाउस आफ कामंस का उल्लेख समाप्त कर दिया गया था किंतु इससे मूल स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

संसद या विधान मंडलों ने अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने का कोई कानून अभी तक नहीं बनाया है। इसलिए आज भी स्थिति यह है कि भारतीय संसद और विधानमंडलों के विशेषाधिकार वहीं हैं

जिनका दावा ब्रिटेन का हाउस आफ कामंस 26 जनवरी, 1950 के पूर्व करता था। इसका अर्थ यह भी है कि हाउस आफ कामंस ने अपने विशेषाधिकारों के पुराने दावे 26 जनवरी 1950 तक छोड़ दिए थे उनका उपयोग भारतीय विधायिका नहीं कर सकती है। साथ ही जब तक वह कानून बनाकर अपने विशेषाधिकार तय नहीं करती तब तक उसे 26 जनवरी 1950 के बाद किसी नए विशेषाधिकार के उपयोग का अधिकार नहीं है। अब सवाल उठता है कि 26 जनवरी 1950 को हाउस आफ कामंस के विशेषाधिकार क्या थे जो भारतीय संसद और विधानमंडलों को इस समय सुलभ हैं! कठिनाई तो इस बात की थी कि स्वयं हाउस आफ कामंस ने अपने विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध नहीं किया। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीस न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला ने जो बाद में राज्यसभा के अध्यक्ष रहे हैं संसदीय विशेषाधिकार के ब्रिटिश इतिहास और न्याय-निर्णयों का विस्तृत विवेचन करके निम्नलिखित विवेचन निकाले है।

एक, संसद को अपने विशेषाधिकारों उनके विस्तार और सदन के भीतर उनको कब इस्तेमाल किया जाए, इसका फैसला करने का पूरा अधिकार है।

दो, संसद अपने अवमान के लिए दोषी व्यक्तियों केा सजा देने की शक्ति प्राप्त है। अवमानकारी क्या है और क्या नहीं है इसका फैसला करने का अधिकार भी उसी का है। इंग्लैड की आदालतों ने ससंद के इस अधिकार को हमशा मान्य किया है।

तीन, संसद को दोषी व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। वह सदन के सत्रावसान से अधिक अवधि के लिए किसी को नजरबंद नहीं रख सकती है। सत्रावसान पर सदन के भंग हो जाने पर बंदियों को छोड़ देना होता है।

चार, संसद द्वारा नजरबंदी का आदेश दिए जाने पर न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिकाएं प्रस्तुत करने वालों उनके वकीलों या सुनवाई करने वाले न्यायाधीश के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार हाउस आफ कामंस को नहीं है।

पांच, हाउस आफ कामंस अदालतों द्वारा भेजे समन स्वीकार करता है और सुनवाई में अपने प्रतिनिधि भेजता है। देसरी ओर अदालतें हाउस आफ कामंस द्वारा जारी वारंट का आदर करती हैं।

छह, हाउस आफ कामंस के सदस्यों को अब सदन के सत्र के दौरान केवल दीवानी अपराधों में गिरफ्तार न किए जाने की उन्मुक्ति प्राप्त है अन्य मामलों में नहीं।

भारत का संविधान संसद और राज्य विधानमंडलों को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम स्वयं निर्धारित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 118 और 208 में इसका प्रावधान किया गया है। इन नियमों के अंतर्गत सदन बाहरी व्यक्तियों, जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं की संसद भवन में उपस्थिति को विनियमित कर सकता है। लोकसभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 286 में अजनबियों के प्रवेश को विनियमित करने का अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है। नियम 387 के अधीन अध्यक्ष जब उचित समझे अजनबियों को सदन के किसी भी भाग से चले जाने का आदेश दे सकता है। यदि कोई अजनबी दुराचरण करता है या अध्यक्ष द्वारा बनाए नियमों का जान-बूझकर उल्लंधन करता है या चले जाने के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे जबरन हटाया जा सकता है या हिरासत में लिया जा सकता है।

2.5 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने आपातकाल के बार जाना की यदि देश पर किसी बाहरी आक्रमण का खतरा या देश के अन्दर सशस्त्र विद्रोह के आसार हों या वित्तीय संकट के समय सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है| इकाई में आपने आपातकाल के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी मिल गयी होगी| आप यह भी जान गये होंगे कि मीडिया रिपोर्टिंग पर आपातकाल की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ते हैं, और यह जन गए होंगे कि मीडिया पर इस समय बहुत सी पाबंदियां लगा दी जाती हैं| साथ ही संसदीय और विधायिका के विशेषाधिकारों के बारे में भी जानकारी मिल गयी है| संसदीय और विधायिका के विशेषाधिकारों के बारे में जानकारी मिल प्राप्त हो गई है|

2.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. **अतिलघु उत्तरीय प्रश्न**

   भारत में सबसे पहले आपतकाल घोषित कब हुआ था?

   अनुच्छेद 352 क्या है?

   अनुच्छेद 105 (3) में संसद और 194 (3) किस बात को उल्लेखित किया गया है?

लघु उत्तरीय प्रश्न

2. प्रेस की आचार संहिता, 1971 को विवेचित कीजिए|
3. राष्ट्रीय आपातकाल से आप क्या समझते हैं?
4. वित्तिय आपातकाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए|

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

5. आपातकाल से आप क्या समझते हैं? भारत में आपातकाल से संबंधित सांविधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
6. आपातकाल के प्रावधानों का मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
7. संसदीय और विधायिका विशेषाधिकारों की चर्चा कीजिए।

2.7 उपयोगी पुस्तकें

1. द्विवेदी, मनीषा (2006). पत्रकारिता एवं प्रेस कानून. नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर.

2. प्रो. त्रिखा, नंदकिशोर (2007). प्रेस विधि. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन.

इकाई-3

मीडिया की स्वतंत्रता व सूचना का अधिकार

इकाई की रूपरेखा

3.1 उद्देश्य

3.2 प्रस्तावना

3.3 मीडिया की स्वतंत्रता

3.4 मानहानि

3.5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

3.6 सूचना का अधिकार

3.7 सारांश

3.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

3.8 उपयोगी पुस्तकें

3.1 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरांत हम निम्न तथ्यों से परिचित हो जाएंगे।

- मीडिया की स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में चर्चा करना|
- मीडिया के लिए संवैधानिक प्रवधानों का विश्लेषण करना|
- पत्रकारों की आचार संहिता के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करना|
- मानहानि की अवधारणा और उसके प्रकारों की चर्चा करना|
- शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के प्रावधानों का वर्णन करना|
- सूचना के अधिकार अधिनियम की व्याख्या करना|

3.2 प्रस्तावना

मित्रों पिछली इकाईयों में हमने मूल अधिकार, कर्तव्य तथा संसदीय विशेषाधिकार के बारे जान करी प्राप्त की| इस इकाई के अंतर्गत हम मीडिया की स्वतंत्रता और उससे सम्बंधित अधिकारों की चर्चा करेंगे| आइए मित्रों अब आगे पढ़ाना शुरू करते हैं :-

मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मुख्य बिंदु है। संविधान में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मीडिया की आवाज का मुख्य आयाम है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें बोलने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता को उच्च स्थान प्रदान किया गया है। चवालिसवें संविधान संसोधन के बाद सात में से बचे छः अधिकारों में प्रथम वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। लोकतंत्र में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होना आवश्यक है क्योंकि वास्तव में जो बोलकर, लिखकर, हाव भाव द्वारा प्रकट करके जो विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है वह वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल रूप होता है। सब स्वतंत्रताओं में इसका स्थान सर्वोपरि इसलिए है कि बिना बोले या विचार प्रकट किए कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को प्रेषित नहीं कर सकता है।

लोकतंत्र की बात करे तो ऐसा तंत्र जिसमें जनता सर्वोपरि होती है, हर नागरिक को न केवल अपनी इच्छा से सरकार चुनने का अधिकार होता है बल्कि वह अभिव्यक्ति के माध्यम से देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी प्रकार के मामलों में अपना मत प्रकट करने का अवसर पाता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विचार प्रकट कर दूसरे को प्रभावित करने के अधिकार के साथ दूसरों के विचारों को जानने का अधिकार होता है इससे व्यक्ति समस्त बातों से अवगत होकर किसी भी बात पर अपना मत प्रकट कर अपने करने के लिए स्वतंत्र होता है। व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग कर अपनी सरकार चुन सकता है तथा चुनी गई सरकार की नीतियों का विरोध कर सकता है। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत व्यक्ति किसी भी विचार पर मत संग्रह कर सकता है और मत संग्रह कर उसका प्रकाशन कर प्रचार प्रसार कर सकता है। व्यक्ति किसी के विचार को खंडित कर अपना विचार उस मुद्दे पर रख सकता है किसी भी विचार धारा से अपने को जोड़ सकता है। यह अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता का मूल मंत्र है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में मीडिया के कानूनी पहलुओं पर नजर डाले तो आजादी के पूर्व प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप की मार थी और प्रेस को सीमित करने के लिए बहुत से प्रेस कानून बने हुए थे जो प्रेस की आवाज को सीमित करने के लिए बनाए गए थे। प्रेस को सरकारी मामलों की आलोचना करने से वंचित करने वाले अनेक कानून प्रेस की स्वतंत्रता के बाधक थे। कई कानून ऐसे जो सरकारी सूचनाओं को आम जनमानस में जाने से रोकने वाले थे। जैसे शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 अंग्रेजी हुकमरानों ने यह कानून इसलिए बनाया थे, जिससे उनके द्वारा किए जा रहे घोटालों को उजागर न किया जा सके। इस कानून के अंतर्गत बिना सरकारी आज्ञा के किसी भी शासकीय सूचना को प्राप्त कर उसका प्रकाशन या प्रसार नहीं किया जा सकता था।

आजादी के बाद भारत में संविधान का निर्माण किया गया और प्रेस पर लगी सेंसरशिप और प्रेस को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को समाप्त कर दिया गया। संविधान में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र बनाने के लिए सरकार के विरूद्ध मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जो जनता की पैरोकारी का प्रमुख पैमाना हैं। इन अधिकारों के जरिए मुक्त प्रेस की अवधारणा को स्वरूप मिला। इसके उपरांत संविधान में आवश्यकतानुसार संशोधन होते रहे और जनता के साथ-साथ प्रेस को भी बहुत सी और स्वतंत्रताएं मिली। सन् 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के पारित हो जाने के बाद किसी भी विभाग से कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता में यह एक नए अध्याय के तौर पर जुड़ गया और पत्रकारों के हाथ में सूचनाओं की चाभी आ गई।

3.3 मीडिया की स्वतंत्रता की अवधारणा

मीडिया संचार का एक बहुत ही ताकतवर और महत्वपूर्ण उपकरण है। वाक् और अभिव्यक्ति पर आधारित यह मंच आम जन की आवाज को दिशा प्रदान करने में अपनी अहम् भूमिका बनाये हुए है। मीडिया का कार्य संदेश को संचारित कर लोगों को सूचनाओं से अवगत करना है। किसी भी सूचना को उसी रूप में पहुंचाने के लिए प्रेस या मीडिया को स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। यदि मीडिया स्वतंत्र नहीं होगा तो निष्पक्षता से मुद्दे उभर कर सामने नहीं आऐगें।

भारत के संविधान के बारे में बात करें तो संविधान में वाक् और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल मंत्र ही मीडिया को स्वतंत्र बनाने में लक्ष्मण रेखा की भांति कार्य कर रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता देश में लोकतंत्र की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। किसी भी देश में सुशासन और व्यवस्थाओं को लोकहित में कारगर बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। इस स्वतंत्रता से आशय किसी भी व्यक्ति को देश में मत प्रकट करने की स्वतंत्रता से है। मीडिया की स्वतंत्रता भी आम जन से जुड़ी हुई है क्योंकि मीडिया का मुख्य आयाम ही जनता की आवज को सरकार तक पहुंचाना है तथा जनता के हितों की रक्षा करना है। इस कार्य को निर्भयता पूर्वक करने के लिए मीडिया को स्वतंत्र होना आवश्यक है। भारत में मीडिया की स्वतंत्रता का मुख्य स्त्रोत संविधान में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रेस को मुक्त प्रेस की संज्ञा प्रदान करने में संविधान के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का मुख्य योगदान है।

3.3.1 मीडिया की स्वतंत्रता और कानूनी पहलू

उच्चतम न्यायालय ने स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को विभिन्न मामलों में व्याख्यायित किया है| न्यायालय के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता से यह आशय है कि प्रेस या व्यक्ति संविधान के अधिकारों को स्वतंत्रता के रूप में प्रयोग कर सकता है। सूचना आदान-प्रदान करने के कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक निर्वाहन करने में प्रेस स्वतंत्र है। प्रेस की स्वतंत्रता को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता हैः-

1. समाचार और विचार -वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस समाचारों, विचारों का संकलन कर उनका मुद्रण और प्रकाशन करके जनता में वितरण करने के लिए स्वतंत्र है। प्रेस को स्वतंत्रता है कि वह किसी भी समाचार का संकलन कर सकता है साथ ही वह किसी भी स्थान पर जा कर समाचार की समाग्री जुटा सकता है तथा किसी भी मुद्दे पर स्वतंत्र विचार प्रकट कर सकता है।

2. मुद्रण एवं प्रकाशन-प्रेस किसी भी समचार को संकलित करने के उपरांत उसका मुद्रण और प्रकाशन कर सकता है। किसी भी समाचार के मुद्रण और प्रकाशन को करने या न करने के लिए समाचार पत्र या पत्रिका को बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रेस पूरी तरह से स्वछंद हो कर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है।

3. समाचार पत्र-पत्रिकाओं का प्रसार-समाचार संकलन और प्रकाशन के उपरांत प्रेस इस सामग्री को जनता में वितरित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। प्रेस द्वारा तैयार किया गया समाचार पत्र या पत्रिका स्वतंत्र रूप से वितरित किया जा सकता है इसमें किसी भी तरह का दबाव बनाकर इसके प्रसार पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

4. खुला विचार मंच-प्रेस मंचों के माध्यम से किसी भी जनहित या सार्वजनिक मुद्दे पर विचार के लिए लोगों को आमंत्रित कर बहस के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान कर मंच के माध्यम से साझा किये गये विचारों को आम जनमानस में प्रकाशित या प्रसारित कर सकता है।

5. सार्वजनिक कार्यों की सामाजिक समीक्षा-प्रेस सार्वजनिक कार्यों की समीक्षा कर सकता है| जनहित और समाज से जुड़े कार्यों की प्रगति रिर्पोट मांग सकता है। सरकार कौन-कौन से कार्य करावा रही है तथा उनकी प्रगति किस प्रकार से हो रही है यह जान कर इसका प्रकाशन या प्रसारण कर जनता को इससे अवगत करा सकता है। प्रेस को स्वतंत्रता है कि वह किसी निजी संस्थान के कार्यों की भी समीक्षा कर सकता है यदि वह निजी संस्थान में कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो आम जनमानस या जनहित से जुड़ा हुआ है।

6. सरकारी नियंत्रण मुक्त-प्रेस पर सरकार किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगा सकती है प्रेस पूरी तरह से किसी भी जनहित या सार्वजनिक मुद्दे को प्रकाशित और प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र है। इसकी स्वतंत्रता को किसी प्रकार प्रभावित करना या उस पर नियंत्रण लगाना कानूनी तौर पर असंवैधानिक है और यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी मौलिक अधिकारों या मानवाधिकारों का हनन माना जाएगा, कितुं सरकार आपतकाल की स्थिति में प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा कर नियंत्रण कर जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो मूल्य निर्धारण करने की स्वतंत्रता है और किसी भी सरकारी और गैर सरकारी विज्ञापन को छापने से इनकार करने की स्वंत्रता प्रेस को प्राप्त है। प्रेस पर कोई ऐसा अतरिक्त कर नहीं लगाया जा सकता जिसके भार से पत्र-पत्रिकों के बंद होने के आसार हों। साथ ही प्रेस के विरूद्ध कोई ऐसा कानून नहीं बनया जा सकता जो उसकी स्वतंत्रा को या उसके प्रकाशन या प्रसारण

को नियंत्रित करने का कार्य करे। प्रेस संस्थागत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है जैसे पत्रकारों और कर्मचारियों की नियुक्ति औद्योगिक संबंधों आदि संबंधित किसी भी मुद्दे पर प्रेस को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

3.3.2 मीडिया की स्वतंत्रता : संवैधानिक प्रत्याभूतियां और सीमाएं

मीडिया की स्वतंत्रा को संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 (1) में उल्लेखित किया गया है। मीडिया के लिए संविधान में कोई विशेष अधिकार की बात नहीं की गई है जो अधिकार नागरिकों प्राप्त हैं वही अधिकार मीडिया के भी पोषक हैं। वाक् और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है जो मीडिया को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए मंच प्रदान करता है।

मीडिया की स्वतंत्रता का अभिप्राय मीडिया का देश में स्वतंत्र रूप से सक्रिय होकर जनता के हितों की लड़ाई में भाग लेने से है। विचार और मत के माध्यम से मीडिया जनता को आवज प्रदान कर लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को दिशा प्रदान करता है। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत विचार और मत प्रकट करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को लोकतंत्र में सक्रिय बनाती है। लोकतंत्र समाज का हिस्सा है और हर एक समाज की कुछ मार्यादाएं होती हैं लोकतंत्र ने भी स्वतंत्रता के साथ कुछ मार्यादाएं भी निर्धारित की हैं जससे समाज में स्वस्थ्य और मैत्री पूर्ण माहौल बना रहे। स्वतंत्रता की व्यापकता मर्यादाओं से निर्धारित होती हैं क्योंकि मीडिया समाज का ही हिस्सा है इसलिए मीडिया की भी कुछ सीमाएं निर्धारित हैं इन सीमाओं या मार्यादाओं को ध्यान में रखकर विचारों, भावों का प्रस्तुतीकरण हो जिससे किसी व्यक्ति या समाज का अपमान, मानसिक या शारीरिक ह्रास न हो। इसके लिए मानहानि और अवमानना जैसे कानून बनाएं गए जिससे स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सके। मानहानि से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति या समाज को सामाजिक तौर पर कोई भी व्यक्ति या समाज अपमानित करे या उसके विरूद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिससे उसके सम्मान या अस्मिता को हानि पहुंचे तो वह इसके विरूद्ध न्यायालय में सिकायत कर मानहानि का दावा प्रस्तुत कर सकता है। यदि न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय के विरूद्ध उससे बड़े न्यायलय में दावा प्रस्तुत किया जा सकता है पर जनता में उसका विरोध करना कानूनी अपराध है और या न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी| इसके लिए न्यायालय उस व्यक्ति विशेष या समुदाय को दण्डित कर सकता है। संवैधानिक प्रत्याभूतियों की इस प्रकार की कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिससे समाज में स्वस्थ अभिव्यक्ति को स्थान मिल सके। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए की सीमाओं का निर्धारण कुछ इस प्रकार किया गया है कि देश और समाज में संतुलन बना रहे और किसी भी व्यक्ति की अनावश्यक स्वतंत्रता प्रभावित न हो सके।

3.4 मानहानि की अवधारणा

व्यक्ति की नेकनामी या प्रतिष्ठा उसकी बहुमूल्य संपत्ति है। इसकी रक्षा करना उसका प्राकृतिक अधिकार है। इस संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला दंड का पात्र है और क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। नेकनामी ईंट-गाड़े से बनी संपत्ति मात्र नहीं

है वरन् यह व्यक्ति की इससे कहीं अधिक मूल्यवान संपदा है। स्थूल संपत्ति एक बार नष्ट हो जाने पर पुनः बन सकती है किन्तु एक बार गिरी प्रतिष्ठा आसानी से फिर स्थापित नहीं हो पाती।

इस तरह की संधारणा से मानहानि के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों की उत्पति हुई है। मान गिरने से मनुष्य पर होने वाले भौतिक, मानसिक और भावनात्मक परिणामों की गंभीरता को देखते हुए मानहानिकारक कृत्य को सिविल और आपराधिक दोनों ही प्रकार का अपराध बनाया गया है तथा इसके दोषी व्यक्तियों के लिए दंड के रूप में क्षति-पूर्ति और कारावास दोनों का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में मानहानि को उन विषयों में शामिल किया गया है जिन पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। मानहानि संबंधित कानून में दो हितों का टकराव होता है- अपनी नेकनामी में व्यक्ति का हित और मुक्त रूप से सूचनाएं दिए जाने में समाज का हित। एक मत यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में कानून में मानहानि का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, पर इसे पूर्णताया स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

3.4.1 मानहानि के प्रकार

मानहानि दो प्रकार की होती है लिखित और मौखिक। किसी व्यक्ति की मानहानि अपराध और अपकृत्य दोनों ही है। मानहानि से पात्पर्य ऐसे कथन को बोलना या प्रकाशित करना जो किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाएं। नेकनामी कोई चल या अचल संपत्ति मात्र नहीं है वरन् यह व्यक्ति की अत्याधिक मूल्यवान संपदा है। चल या अचल संपत्ति एक बार नष्ट होने पर पुनः बन सकती है किन्तु एक बार गिरी प्रतिष्ठा आसानी से स्थापित नहीं हो पाती।

इस तरह की संधारणा से मानहानि के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों की उत्पति हुई है। मान गिरने से मनुष्य पर होने वाले भौतिक, मानसिक और भावनात्मक परिणामों की गंभीरता को देखते हुए मानहानिकारक कृत्य को सिविल और आपराधिक दोनों ही प्रकार का अपराध बनाया गया है तथा इसके दोषी व्यक्तियों के लिए दंड के रूप में क्षति-पूर्ति और कारावास दोनों का प्रावधान किया गया है।

दीवानी या सिविल मानहानि

सिविल या दीवानी न तो संहिताबद्ध है और न ही इसमें दोष सिद्ध करने के लिए व्यक्ति का इरादा या मोटिव सिद्ध करना आवश्यक होता है। यदि किसी के कृत्य से किसी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है तो वह क्षतिपूर्ति का अधिकारी है। भले ही मानहानि कारक कृत्य किसी इरादे से नहीं किया गया हो, फिर भी यह अपराध है और दोषी व्यक्ति दण्ड का पात्र हो जाता है। क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करते समय न्यायालय दोषी व्यक्ति के इरादे पर विचार करके उसे कम या ज्यादा कर सकता है।

आपराधिक मानहानि

अपराधिक मानहानि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 में संहिताबद्ध किया गया है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि बोले हुए या प्रकाशित शब्दों, संकेतों या दृश्य निरूपण द्वारा की जा सकती है बशर्ते उस व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी लांछन उपर्युक्त चार माध्यमों से इस आशय से लगाया जाए कि उसे ख्याति अपहानि हो। ख्याति अपहानि की सीमा केवल जीवित व्यक्तियों तक सीमित नहीं है वरन् मृत व्यक्ति पर भी कोई लांछन लगाया जाएं तो उस व्यक्ति के परिवार पर लांछन माना जाता है और यह कृत्य ख्याति अपहानि की श्रेणी में आता है। इसके अलावा किसी कंपनी या संस्थान पर लगाया गया लांछन भी उसकी ख्याति की हानि माना जाता है और अपराध की श्रेणी में आता है।

3.4.2 मानहानि कानून

मानहानि कानून के तहत मान गिरने से मनुष्य पर होने वाले भौतिक, मानसिक और भावनात्मक परिणामों की गंभीरता को देखते हुए मानहानिकारक कृत्य को सिविल और आपराधिक दोनों ही प्रकार का अपराध बनाया गया है तथा इसके दोषी व्यक्तियों के लिए दंड के रूप में क्षति-पूर्ति और कारावास दोनों का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में मानहानि को उन विषयों में शामिल किया गया है जिन पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। मानहानि संबंधित कानून में दो हितों का टकराव होता है- अपनी नेकनामी में व्यक्ति का हित और मुक्त रूप से सूचनाएं दिए जाने में समाज का हित। एक मत यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में कानून में मानहानि का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, पर इसे पूर्णताया स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

मानहानि वाद की प्रक्रिया

भारतीय दंड संहिंता की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि का अपराध घटने के तीन वर्षों के अंदर वाद दाखिल हो जाना चाहिए। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों, मंत्रियों प्रशासकों या अन्य लोकसेवकों के संबंध में वाद घटना के छः माह के भीतर दाखिल हो जाना चाहिए।

सुनवाई का अधिकार

1. प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट मानहानि के मामलों की सुनवाई के लिए सक्षम है। इनके निर्णय के विरूद्ध सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

2. राज्य के प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्ति के विरूद्ध मानहानि का वाद सेशन कोर्ट में चलाया जा सकता है।

दण्ड व्यवस्था

धारा 500, 501 तथा 502 में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। न्यायालय प्रतिवादी को मुकदमें का खर्च देने को भी कह सकता है। वसूल किए जाने वाले जुर्माने में से कोई निर्दिष्ट

राशि एस व्यक्ति को दिए जाने का आदेश न्यायालय दे सकता है जिसकी मानहानि हुई हो। पत्रकारों को औरों की अपेक्षा अधिक दण्डित किया जा सकता है क्योंकि पत्रों में छपी बातें उनकी प्रसार संख्या के अनुसार बहुत से लोगों तक पहुंच जाती हैं। पर यदि समाचार पत्र या पत्रिका वाद के समाप्त होने के पूर्व भूल को सुधार ले तो कोर्ट नरम रूख अपना सकता है।

3.5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 इस काननू को सरकारी गोपनीय कानून भी कहते है। यह काननू सरकारी पारदर्शिता की राह का अवरोधक माना जाता है। सूचना के अधिकार काननू में नागरिकों को सरकारी जानकारी को प्रकट करने का हक दिया गया है। जबकि गोपनीयता काननू सन् 1889 में पहली बार बने सरकारी रहस्यमय काननू की तर्ज पर बनाया गया। भारत में अंग्रेजों का शासन था। वे चाहते थे कि उनके राज-काज की कोई जानकारी जनता को उपलब्ध नहीं हो। प्रेस को सरकारी सूचना देने की जिम्मेदारी 'प्रेस आयुक्त' को सौंपी गई। लेहिबज भारत के पहले प्रेस कमिश्नर बनाए गए थे। शासकीय गुप्त बात अधिनियम 2 अप्रैल 1923 को अधिनियम संख्या 19 पारित किया गया था।

इस काननू में कुल 16 धाराएं प्रवाहित की गई थी। यह काननू संपूर्ण भारत में विस्तारित किया गया था। यह अधिनियम सरकार के सेवकों और भारत के नागरिकों पर जो भारत में या बाहर हैं, उन पर भी लागू होता है । धारा- 1 में इस काननू का पूरा नाम एवं पूरे भारत में विस्तार क्षेत्र को बताया गया है। धारा-2 में दस्तावेज, प्रतिमान, युद्धसामग्री, फोटोग्राफ, प्रतिषिद्ध स्थान, रेखाचित्र एवं पुलिस अधीक्षक की परिभाषा दी गई है। धारा-3 में ऐसी सरकारी सूचना जिसे गोपनीयता की परिधि में रखा गया है की गुप्तचरी करने पर दण्डित करने की व्यवस्था की गई है। इसमे 3 वर्ष से 14 वर्ष कारावास से दण्डित करने का प्रावधान किया गया है। इस काननू की धारा-4 में किसी विदेशी अभिकर्ता से संपर्क रखने या प्रयत्न करने पर जिससे भारत के भीतर एवं बाहर राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से कोई जानकारी प्राप्त की है या प्रयत्न किया है, जो शत्रु के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोगी हो, या आशातीत हो, के बारे में साक्ष्य इस अधिनियम के तहत अपराध है|

धारा-5 में यदि कोई व्यक्ति किसी गुप्त शासकीय संकेत, संकेतशब्द या किसी रेखाचित्र, रेखांक प्रतिमान, टिप्पणी, दस्तावेज या जानकारी को स्वैच्छया से प्राप्त करेगा, जो राज्य के हितों एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले होने पर जानकारी की सदोष संसूचना करता है तो उसे 3 वर्ष के कारावास या जुमारने या दोनों से दण्डित करने का प्रवधान किया गया है। धारा-6 में वर्दियों के अप्राधिकृत उपयोग, रिपोर्ट का मिथ्याकरण, कूटकरण, प्रतिरूपण और मिथ्या दस्तावेज नहींकरने के बारे में प्रावधान किया है। दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास या जुर्माना की सजा देने की व्यवस्था की गई है। कोई व्यक्ति किसी नौसैनिक, वायुसैनिक, थलसैनिक पुलिस या शासकीय प्राधिकृत वर्दी को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उपयोग करने या पहनने को विर्जित किया गया है। किसी पुलिस, सैनिक बल या शासकीय पास, अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र, मुद्रा, स्टांप, या दस्तावेज, घोषणा, आवेदन में मिथ्यारूप से जानबूझकर कूटकरण

प्रतिरूपण नहीं करने के बारे में कहा गया है। यदि ऐसा करने के दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष के कारावास या जुर्माना करने की व्यवस्था की गई है।

धारा-7 में यह व्यवस्था की गई है कि पुलिस अधिकारियों या संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों के कार्य में हस्ताक्षेप करने को विर्जित किया गया है। इसमें ड्यूटी पर गार्ड, संतरी, पेरोल, प्रहरी के रूप में हो सकते है। पुलिस या सशस्त्र बल के सदस्य के कर्तव्य निभाते समय कोई भी कर्तव्य में बाधा, अड़चन या हस्ताक्षेप नहीं करेगा। दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा-8 में कोई व्यक्ति अपराध के किए जाने के संबंध में जानकारी देने के कर्तव्य में असफल होगा तो उसे भी 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने से दंडित करने की व्यवस्था की गई है। धारा-9 में उक्त सभी धाराओं में विर्जित कार्य करने का दोषी पाये जाने के अलावा यदि उस अपराध को करने का प्रयास करेगा या प्रेरित करेगा उसे विहित दंड से दंडित किया जाएगा। धारा- 10 में कोई व्यक्ति जासूसों, गुप्तचरों, भेदियों को आश्रय जानबूझकर की गई अवस्था में उसे 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने की सजा देने की व्यवस्था की गई है। धारा-11 में प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट , प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का समाधान शपथ-पत्र पर होने पर, कि अपराध किया जा चुका है या किया जाने वाला है, ऐसी स्थिति में तलाशी वारंट दे सकेगा। इसमें भार साधक अधिकारी से अनिम्न पुलिस अधिकारी किसी स्थान या परिसर में प्रवेश कर जिसके प्रति संदेह करने का युक्तियुक्त आधार है को अभिगृहित करेगा। जहां मामला आपात का है वहां अधीक्षक के पंक्ति से अनिम्न पुलिस अधिकारी को राज्य हित में तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। वह पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र कार्यवाही की रिपोर्ट प्रेसीडेंट मजिस्ट्रेट को और ऐसे नगर के बाहर जिला या उपखंड दंडनायक को देगा।

धारा- 12 में इस काननू की धारा-3, 5,7 एवं 9 में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में लागू होगे जैसे वे ऐसी अवधि के लिए जो सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध के संबंध में लागू होते हैं। धारा- 13 में अपराधों के विचारण के लिए विशेषतया सशक्त प्रथम वर्ग दण्डनायक से भिन्न न्यायालय नहीं सुनवाई करेगा। यदि आरोप से पूर्व उंमुक्त नहीं किया गया हो तो इसका विचारण सैशन न्यायालय को सुपुर्द करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों का संज्ञान, समुचित सरकार परिवाद के सिवाय नहीं करेगी। अपराध का विचारण वहां किया जाएगा जिस स्थल पर अपराध वास्तव में किया गया हो या भारत के जिस स्थान पर अपराधी पाया जाए उस क्षेत्र के सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा। धारा- 14 में यह बताया गया है कि न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों की सुनवाई करते समय किसी साक्ष्य या कथन के प्रकाशन से राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदन न्यायालय में करने पर समस्त जनता या उसका कोई भाग सुनवाई के किसी भाग के दौरान अपवर्जित करने का आदेश दिया जाएगा। परंतु किसी भी दशा में दण्डादेश जनता के सामने ही दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

धारा- 15 में इस काननू में यदि अपराध करने वाला व्यक्ति यदि कंपनी हो तो उस कंपनी के भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान किया है। यदि अपराध कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य

अधिकारी की संमति या मौनानुकूलता से या उसकी उपेक्षा के कारण हुआ हो, वहां ऐसे दोषी अधिकारी को दंडित करने का भागी बनाया जाएगा। कंपनी के अंतर्गत निगमित निकाय, कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम तथा फर्म के संबंध में निदेशक से तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से लगाया जाता है। अंतिम धारा- 16 को निरसित काननू 1927 की धारा-2 तथा अनुसूची को निकाल दिया गया था। आज़ादी के बाद सबसे पहली बार 1967 में इस काननू में संशोधन किया गया था। यह संविधान में सैनिक जासूसी से संबिंधत था। सरकारी कामकाज में गोपनीयता की दुहाई देकर जनता को कब तक वंचित रखा जा सकता है। आज सूचना क्रांति का दौर चल रहा है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजो द्वारा थोपे गए इस काननू को समाप्त करवाने का समय आ गया है। इसके लिए भारत की संसद ने सूचना का अधिकार काननू 2005 में पारित कर दिया है। यह गोपनीयता काननू भारत में सर्वप्रथम सन् 1889 में बनाया गया था इसके बाद 1984, 1911, 1920, 1923 एवं 1967 में संशोधन किए गए थे।

3.6 सूचना के अधिकार की अवधारणा

सूचना के अधिकार का परिचय; अमेरिका, स्वीडन, नार्वे, नीदरलैण्ड, इंलेण्ड ये ऐसे देश है, जहां के नागरिकों को किसी न किसी रूप में सूचना का अधिकार प्राप्त हैं। जर्मन संघ गणराज्य में 'फ्रीडम आफ इनफारमेशन एक्ट' तो नहीं बना है लेकिन वहां का विधिक तंत्र अपने प्रत्येक नागरिक को सूचनाएं प्रदान करने की वकालत करता हैं। जहां न्यूजीलैण्ड, कनाडा, कोलम्यिा, दक्षिण अफ्रीका सूचना विषयक कानून बनाये वहीं मलेशिया ने कम्प्यूटर प्रणाली के द्वारा अपने यहां सूचना प्रणाली विकसित की।

सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला सर्वाधिक पुराना एवं सूचना पर प्रथम कानून बनाने वाले वाले देश का श्रेय स्वीडन देश को जाता हैं। अपने नागरिकों को सरकारी कागजात उपलब्ध करने की शुरूवात स्वीडन ने ही की थी। यह अधिकार नागरिकों को सन् 1766 में मिल गया था। 1766 में स्वीडन की सरकार 'प्रेस की स्वतंत्रता' नामक कानून बनाया था जो कि सरकारी कामकाज की सूचनाएं प्रदान करने का अधिकार इस कानून का एक हिस्सा है।

'सन द पब्लिक करेक्टर ऑफ ऑफिशियल डाक्यूमेंटस' नामक अध्याय में सूचना का अधिकार देने वाले कानून के विभिन्न प्रवधान मौजूद हैं।

फिनलैण्ड में नागरिकों को सूचना का अधिकार अथवा सरकारी दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार सन् 1951 में मिला। 'लॉ आन द पब्लिक करेक्टर आफ ऑफिशियल डाक्यूमेंटस' नामक कानून के अर्न्तगत उक्त अधिकार दिया गया।

डेनमार्क ने 1964 में ही सूचना देने वाला कानून बना दिया था। लेकिन यह कानून एक सामान्य कानून के तौर पर 1970 में संविधान का अंग बन गया। नार्वे ने भी 1970 में अपने नागरिकों को सरकारी दस्तावेज प्रदान करने वाला कानून बना दिया था।

इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रशासनिक स्तर पर 1946 में ऐसे कई प्रवधान कर दिये थे जिनके आधार पर सरकारी दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। सन् 1966 में 'फ्रीडम ऑफ इंफारमेशन एक्ट' अस्तित्व में आया। इस एक्ट के द्वारा अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की। इसको ही ध्यान में रखकर 1974 में अमेरिकी कांग्रेस ने 1966 के इस कानून में कई महत्वपूर्ण संसोधन किये। सूचना के अधिकार से सम्बन्धित 'प्राइवेसी एक्ट' भी इसी वर्ष पारित किया गया।

इसी समय पश्चिमी यूरोप के तीन अन्य देशों ने भी सत्तर के दशक में सूचना के अधिकार पर पहल की और वे देश थे आस्ट्रिया, नीदरलैण्ड और फ्रान्स। आस्ट्रिया की संसद ने 1973 में प्रशासनिक स्तर पर सरकारी सूचनायें प्रदान करने सम्बन्धी प्रावधान नागरिकों को दिये। फ्रान्स और नीदरलैण्ड ने नवम्बर 1978 में अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार 'ओपेनेन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट' विषयक कानून बनाया।

आस्ट्रिया में 'फेडरल मिनिस्ट्रीज एक्ट' नामक कानून पहले से ही प्रचलित था। सन् 1973 में आस्ट्रिया की संसद ने इस कानून में दो उपबन्धों को शामिल किया। ये दोनों उपबन्ध जनता को प्रशासनिक सूचनाएं प्रदान करने की वकालत करते हैं तथा इसका उत्तरदायित्व मंत्रिमण्डल को सौंपते हैं। **फ्रान्स** का संविधान विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का न केवल पक्षधर है बल्कि वह इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखता हैं। सन् 1973 में सूचना की स्वतंत्रता देने वाले कानून बनाने की आवाजें उठने लगी थी। इसी समय प्रशासनिक दस्तावेजों के समन्वय हेतु बने एक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी। इसमें नागरिकों को सूचना का अधिकार देने सम्बन्धी कानून बनाने का प्रस्ताव था। इस प्रकार फ्रान्स ने सन् 1978 में सूचना का अधिकार लागू किया। **कनाडा** एक संघीय स्वरूप वाला देश है उसके प्रान्तों को काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त हैं। नोवा सिकाटिया कनाडा का एक ऐसा प्रान्त है जिसने सर्वप्रथम 1977 में अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार 'फ्रीडम ऑफ इन्फॉरमेशन एक्ट' दिया। कनाडा की संघीय सरकार ने सूचना का अधिकार बनाने के लिए एक मॉडल विधेयक तैयार करने हेतु 1977 में ग्रीन पेपर जारी किया। ग्रीन पेपर की संस्तुतियों के आधार पर तैयार किये गये इस विधेयक को संसद में प्रधानमंत्री जोए क्लार्क के नेतृत्व में बनी कंजरवेटिव पार्टी की नवनिर्वाचित सरकार ने प्रस्तुत किया था। **कनाडा** का 'एक्सेस टू इन्फॉरमेशन' नामक कानून सन् 1980 में अस्तित्व में आया और साथ ही सन् 1983 में संसद ने 'प्राइवेसी एक्ट' भी पारित किया। विश्व के सभी देशों की तरह **न्यूजीलैंड** ने सूचना का अधिकार देने वाला कानून तो नहीं बनाया है लेकिन 1982 में अपने सरकारी गोपनीय कानून ऑफीशियल सीक्रेटस एक्ट के प्रावधानों को उदार बनाकर उसने जनता को सूचना का अधिकार दिया। इस कानून के आधार पर न्यूजीलैंड का कोई भी नागरिक सरकारी सूचनायें प्राप्त करने के लिये ओम्बुड्समैन का सहयोग ले सकता हैं।

आस्ट्रेलिया में सूचना के अधिकार की मांग ने सन् 1972 में जोर पकड़ा जब नई लेबर सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया। सरकार ने सन् 1972 में एक समिति का गठन किया। समिति के प्रस्तावों के आधार पर जून 1978 में आस्ट्रेलिया की कामनवेल्थ सरकार ने 'फ्रीडम ऑफ इन्फॉरमेशन विधेयक' तैयार किया अंत में कुछ संसोधनों के बाद 1982 में पारित हो गया। इसी वर्ष 'फ्रीडम ऑफ इंफॉरमेशन एक्ट' आया। इस एक्ट के अन्तर्गत 1989 में सूचना का

अधिकार विषयक कानून बना। इन सब देशों की भांति ब्रिटेन में सन् 1989 में 'सरकारी गोपनीयता कानून' (1911) के अनुच्छेद को परिवर्तित कर नागरिकों को कतिपय क्षेत्रों के अतिरिक्त सरकारी सूचनायें प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। ब्रिटेन में आज भी अन्य देशों की तरह फ्रीडम ऑफ इन्फॉरमेशन एक्ट जैसा कोई कानून नहीं बना लेकिन सन् 1911 के सरकारी गोपनीय कानून में परिवर्तन होने पर अब वहां के नागरिक अन्य देशों की तरह कुछ क्षेत्रों की सूचनाओं को छोड़कर अधिकांश सरकारी सूचनायें प्राप्त कर सकते हैं।

3.6.1 भारत के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार

आम जनता को सरकार से सूचना प्राप्त करने संबधित सूचनाधिकार (सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002) भारतीय संसद ने दिसम्बर 2002 में पारित किया और इस पर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 6 जनवरी को होकर यह अधिनियम बना व लागू हुआ। इस अधिनियम के पीछे एक संघर्ष भरी कहानी हैं। इससे पूर्व सन् 1996 में लोक सभा चुनावों में कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी दलों ने सूचना के अधिकार को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया।

खंडित जनादेश के चलते 14 दलों के गठबंधन वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। इस मोर्चे ने अपना एक "न्यूनतम साझा कार्यक्रम" नामक परिपत्र जारी किया। इस परिपत्र में 'सूचना का अधिकार विधेयक' तैयार कर 6 महीने के अन्दर उसे संसद में प्रस्तुत करने की बात कही थी। देवगौड़ा एवं इन्द्रकुमार गुजराल की सरकार ने सूचना के अधिकार के सन्दर्भ में काफी पहल की थी। भारतीय प्रेस परिषद ने दिसम्बर 1996 में सूचना के अधिकार का एक मॉडल तैयार किया। यह मॉडल परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीवी सावंत की अध्यक्षता में तैयार हुआ। तत्पश्चात इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। भारत सरकार ने एक नई समिति बनाकर इस विधेयक के प्रारूप को जांच पड़ताल के लिए सौंप दिया। उपभेक्ता हितो के संरक्षक एक गैर सरकारी संस्था के निदेशक, अवकाश प्राप्त आईएसएस अधिकारी एवं वरिष्ठ पत्रकार अरूण शौरी के पिता डा. एच शौरी इस दस सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बनाये गये।

भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पीवी सावंत प्रशासनिक सुधार विभाग के अतरिक्त सचिव डॉ. सुन्दरम तथा उपभोक्ता मामलों से सम्बन्धित विभाग के सचिव एके वेंकटसुब्रह्मम से विस्तृत राय मशविरा कर समिति ने मई 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। 35 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट में "फ्रीडम ऑफ इनफॉरमेशन" विधेयक के प्रारूप के अलावा करीब दस पृष्ठों में कानून बनाने की भूमिका का भी उल्लेख किया गया हैं। रिपोर्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-123 एवं 124, सरकारी गोपनीय कानून, 1923 की धारा-5 केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 में सुझाये गये संसोधनों का भी उल्लेख मिलता हैं। प्रेस परिषद 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट' के सहयोग से अपने 1996 के मॉडल विधेयक को अन्तिम रूप प्रदान किया और उसे भारत सरकार को सौंपा दिया। सरकार इस प्रारूप पर कोई निर्णय लेती कि इससे पूर्व ही केन्द्र की संयुक्त मोर्चा सरकार असमय में ही भंग हो गयी। इस प्रकार "सूचना का अधिकार विधेयक" का मामला पुनः लटक गया। फिर अनेक वर्षो बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई की सरकार ने 16 दिसम्बर 2002 को संसद ने 'सूचना का अधिकार का अधिनियम 2002' को पारित किया।

यह आश्चर्य का विषय है कि सूचना का अधिकार विषयक विधेयक भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में बहुत देर से अस्तित्व में आया। भारत में सूचना के अधिकार को कार्यान्वित करने का श्री गणेश विभिन्न राज्यों ने किया। इस दिशा में सबसे में सबसे पहला श्रेय तमिलनाडु को जाता हैं। तमिलनाडु सरकार ने अपने तत्कालीन मंत्री अलादी अरूण को अधिकार दिया। समिति ने 1996 की प्रेस परिषद के विधेयक को आधार मानकर करूणानिधि सरकार ने "तमिलनाडु सूचना का अधिकार विधेयक 1997" तैयार किया और मई 1997 में इस विधेयक को लागू कर दिया गया।

इस प्रकार तमिलनाडु में सूचना का अधिकार विधेयक लागू होने से सबक लेते हुए अन्य राज्यों ने अपने यहां भी इस विधेयक को लागू कर दिया जो इस प्रकार है- गोवा सरकार ने सूचना का अधिकार विधेयक लागू करने से देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गोवा सरकार ने 29 अक्टूबर 1997 को यह अधिनियम लागू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना के अधिकार को लागू करने में तत्परता दिखायी जिसका श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जाता हैं। इस अधनियम में 11 अपवाद है और नियम उल्लंघन करने पर रू0 2000/- दण्ड का प्रविधान हैं। इसी प्रकार कर्नाटक सरकार ने 'कर्नाटक सूचना का अधिकार अधिनियम 2000' बनाकर लागू किया। सन् 2000 में ही महाराष्ट्र सरकार ने 19 अगस्त 2000 को शासन राजपत्र में 'महाराष्ट्र माती अधिकार 2000' प्रकाशित किया जिससे यहां की जनता को सूचना का अधिकार मिल गया। इसके अलावा दिल्ली का सूचना का अधिकार अधिनियम 2001 गोवा के सूचना के अधिकार नियम की तर्ज पर बना हैं। इस कानून के अर्न्तगत प्रत्येक लोक अधिकारी को अपने कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सूचनाओं के ब्यौरे प्राप्त करने को कहा गया हैं।

राजस्थान में सूचना के अधिकार के विकास की एक संघर्ष भरी कहानी हैं। इसके विकास की शुरूवात भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र देकर आई अधिकारी अरूणा राय ने आरम्भ किया और उनका यह संघर्ष 1998 तक चलता रहा। 1998 में सत्ता परिवर्तन के साथ सूचना के अधिकार को 12 मई 2000 को अधिसूचित कर दिया गया और इसी क्रम में 26 जनवरी सन् 2001 से 'राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000' लागू कर दिया गया।

3.6.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

संसद द्वारा पारित 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' 12 अक्टूबर, 2005 से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर भारत के समस्त भाग में लागू हो गया है। इसके साथ ही लोग को सरकार के अधिकांश विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है। आम जनता किसी भी सरकारी रिकार्ड, दस्तावेज, ई-मेल, विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग-बुक , संविदा, रिपोर्ट, नमूने, मॉडल एव इलेक्ट्रॉनिक रूप में एकत्रित आँकड़ो की जानकारी ले सकती है। इसके पूर्व 'सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002' (The Freedom of Information Act, 2002) भारतीय संसद ने 16 दिसम्बर, 2002 में पारित किया था और इस पर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 6 जनवरी, 2003 को होकर यह अधिनियम बना एवं लागू हुआ था । केंद्र की यूपीए सरकार ने इस अधिनियम को अपर्याप्त एवं अप्रभावी माना और 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' का नया मसौदा तैयार किया गया । संसद ने 12 मई, 2005 को इस पर मोहर लगा दी।

3.7 सारांश

प्रस्तुत इकाई में अपने मीडिया की स्वतत्रंता के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही मीडिया के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है इसके बारे में भी जाना| आप पत्रकारों के लिए आचार संहिताओं के बारे में पढ़ कर पत्रकारों की नैतिक जिम्मेदारियों को समझ गए होंगे| मानहानि के बारे में पढ़ कर यह जन लिया होगा की यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर कोई अपशब्द कहा जाए, जिससे उसके मान में कमी ए तो वह मान हानि मणि जाएगी और दोषी के खिलाफ न्यायलय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और दोषी को न्यायलय द्वारा दण्ड और जुर्माना दोनों से दण्डित किय जा सकता है| इकाई में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के बारे में जान कर यह पता चल गया की शासकीय गुप्त बात अधिनियम में क्या प्रावधान थे साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम की भी जानकारी मिल गई होगी|

3.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. **अतिलघु उत्तरीय प्रश्न**
    - 1923 में कौन-सा कानून लागू हुआ?
    - राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था?

लघु उत्तरीय प्रश्न

2. अपराधिक मानहानि को विवेचित कीजिए|
3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए|
4. सरकारी नियंत्रण मुक्त प्रेस से आप क्या समझते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

5. मीडिया की स्वतंत्रता क्या है? मीडिया के लिए संवैधानिक प्रवधानों का विश्लेषण करजिए।
6. पत्रकारों की आचार संहिता के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
7. मानहानि की अवधारणा और उसके प्रकारों की चर्चा कीजिए।
8. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए|

3.8 उपयोगी पुस्तकें

1. द्विवेदी, मनीषा (2006). पत्रकारिता एवं प्रेस कानून. नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर.

2. प्रो. त्रिखा, नंदकिशोर (2007). प्रेस विधि. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन.

इकाई 4

पत्रकारों के अधिकार

इकाई की रूपरेखा

4.1 उद्देश्य

4.2 प्रस्तावना

4.3 भारतीय प्रेस परिषद

4.4 श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी

4.5 प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990

4.6 सारांश

4.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

4.8 उपयोगी पुस्तकें

4.1 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरांत हम निम्न तथ्यों से परिचित हो जाएंगे।

- भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका की चर्चा करना।
- पत्रकारिता की नैतिकता की चर्चा करना।
- श्रमजीवी पत्रकारों के बारे मे जनना।
- पत्रकार, गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा कानूनी प्रवधानों का विश्लेषण करना।
- प्रसार भारती की स्थापना के उद्देश्यों को विश्लेषित करना।
- प्रसारण परिषद की स्थापना के बारे में जनना।

4.2 प्रस्तावना

मित्रों पिछली इकाई में मीडिया की स्वतंत्रता से अवगत होने के उपरांत अब पत्रकारों के अधिकार को जानने की आवश्यकता महसूस हो रही है| इस इकाई के अंतर्गत हम पत्रकारों के लिए बने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करेंगे साथ ही यह जानेगे कि समाचार पत्र कर्मचारियों में कौन पत्रकार है और कौन गैर पत्रकार| आइए मित्रों अब आगे पढ़ाना शुरू करते हैं?

भारत की स्वतंत्रता में समाचार पत्रों की महती भूमिका रही थी। अंग्रजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता था। अंग्रेज सरकार ने समाचार पत्रों की लोकप्रियता को कम करने और प्रेस को सीमित करने के लिए इस पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। उस समय पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी और पत्रकार स्वयंसेवक की भांति कार्य किया करते थे। देश की आजादी के बाद पत्रकारिता का स्वरूप बदला और पत्रकारिता को लोग पेशे के रूप में चुनने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्रकारिता के योगदान को देखते हुए पत्रकारों के कल्याण के लिए कुछ कानूनों का निर्माण किया गया और कुछ समितियों का गठन किया गया जो पत्रकारों के हितों की पैरोकारी कर सकें। इन समितियों द्वारा पत्रकारों के काल्याण के लिए सिफारिसें प्रस्तुत की गई। पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड का निर्माण किया गया| पत्रकार और गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए सेवा शर्ते निर्धारित करने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए। पत्रकार और गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारी के हित के लिए कानून तथा अधिकारों का निर्धारण किया गया जिससे कि वह अपनी आजीविका चलाने में सक्षम बन सके।

4.3 भारतीय प्रेस परिषद

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, नियंत्रण, विकास और आवश्यक सुधारों के लिए प्रेस परिषद कार्य करती है जो प्रेस के क्रिया कलापों पर नजर रख कर उसकी स्वतंत्रता और आवश्यक नियंत्रण बनाने का कार्य करती है। प्रथम प्रेस आयोग के द्वारा सन् 1954 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की आवश्यकता है। इस सिफारिश को आधार मानकर सन् 1956 में प्रेस परिषद अधिनियम संसद में पेश हुआ किंतु बहुत से कारणों की वजह से यह संसद में सालों तक लंबित पड़ा रहा। संसद द्वारा इस विधेयक को सन् 1965 में पारित कर दिया गया। इसके उपरांत 1966 में प्रेस परिषद अस्तित्व में आई तथा इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया।

समाचार पत्रों के लिए बनी प्रेस परिषद में सन् 1970 के समय इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया और समाचार समितियों को भी इसके दायरे में शामिल कर लिया गया। इसके उपरांत सन् 1975 में प्रेस परिषद का कार्यकाल समाप्त हो गया और इसके बाद 1978 में पुनः प्रेस परिषद अधिनियम स्थापित किया गया। इस प्रेस परिषद में एक अध्यक्ष और अट्ठाईस सदस्यों की नियुक्ति किए जाने का प्रवधान किया गया। यद्यपि कानून में ऐसा नहीं लिखा है फिर भी परंपरा और मान्यता यह है कि परिषद का कार्य अर्द्ध-न्यायिक प्रवृत्ति का है इसलिए अध्यक्ष पद पर किसी सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायलय के न्यायधीश का चयन किया जाता है और अट्ठाईस सदस्यों में 6 श्रमजीवी संपादक (ऐसे संपादक जो मालिक या प्रबंधक न हों), 7 अन्य श्रमजीवी पत्रकार, 6 समाचार पत्रों के स्वामी या उसका कारोबार प्रबंधन करने

वालों में से और एक संवाद समितियों का प्रबंध करने वालों में से होता है। प्रेस व्यवसाय से संबंधित इन बीस लोगों के अलावा आठ दूसरे सदस्य होते हैं। इनमें से तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको शिक्षा और विज्ञान, विधि और साहित्य तथा संस्कृति के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवाहरिक अनुभव वालों का चयन किया जाता है। पांच सदस्य संसद से होते हैं जिसमें लोकसभा से तीन और राज्यसभा से दो। विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले एक-एक सदस्य का नाम निर्देशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय बार परिषद और साहित्य अकादमी द्वारा किया जाता है। सांसदों का नाम निर्देशन लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति अपने-अपने सदन के सदस्यों में से करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव एक तीन सदस्यीय समिति करती है। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और प्रेस परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया एक व्यक्ति इस समिति का सदस्य होता है।

4.3.1 प्रेस परिषद के मुख्य उद्देश्य या कार्य

प्रेस परिषद के उद्देश्यों और कार्यों को निम्नांकित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता हैः-

1. प्रेस परिषद समचार पत्रों और समाचार समितियों का स्तर और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।

2. प्रेस परिषद के द्वारा समाचार पत्र, समाचार समितियों और पत्रकारों के लिए आचार संहिता का निर्माण करती है जिससे प्रेस की मर्यादा बनाई रखी जा सके।

3. प्रेस परिषद पत्रकारिता से जुड़े लोगों को उनके दायित्वों से अवगत करावा कर जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित करती है।

4. प्रेस परिषद जनरूचि को समझ कर और नागरिक अधिकारों के प्रति पत्रकारों को सचेत करवा कर उनके उत्तरदायित्व का पोषण करती है।

5. समाचार पत्रों पर संभावित अवरोधों पर दृष्टि रखती है।

6. प्रेस परिषद समाचार पत्रों और समाचार समितियों को विदेशों से प्राप्त सहायता का मूल्यांकन करती है।

7. प्रेस परिषद के द्वारा विदेशी समाचार पत्रों के प्रसार एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जिससे विदेशी समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों के दृष्टिकोण को मापा जा सके।

8. प्रेस परिषद समचार पत्रों, समाचार समितियों और प्रकाशन इकाइयों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है।

9. प्रेस परिषद केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अध्ययन कार्यों को निष्पादित करता है।

10. प्रेस परिषद प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली स्थितियों पर नजर रखता है जिससे कि प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो।

11. प्रेस परिषद उन प्रत्येक कार्य को निष्पादित करता है जो प्रेस परिषद अधिनियम के अंतर्गत आते हों।

यह बात गौरतलब है कि प्रेस परिषद को दण्डात्मक अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी समाचार पत्र के विरूद्ध या प्रेस की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाने वाले व्यक्ति या समूह के विरूद्ध प्रेस परिषद में शिकायत की जा सकती है तथा परिषद इस पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। किंतु न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में परिषद विचार नहीं कर सकती है। प्रेस परिषद द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही के विरूद्ध व्यक्ति या संस्थान न्यायालय में याचिका दायार नहीं कर सकता है।

4.3.2 पत्रकारिता का नीतिशास्त्र

पत्रकारिता का नीतशास्त्र एक मापडंड है जो स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार के मध्य अंतर को प्रदर्शित करता है। नीतिशास्त्र सही गलत, अच्छे बुरे, जिम्मेदार गैरजिम्मेदार, निर्दोष या कसूरवार के मध्य अंतर स्पष्ट करने का नजरिया है जो पत्रकारों को पत्रकारिता में नैतिक मूल्यों का बोध कराता है। पत्रकारिता के नैतिक सिद्धांत पत्रकारों को समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराने का कार्य करते हैं।

पत्रकारिता के नीतिशास्त्र की आचार संहिता मौलिक रूप से पत्रकारिता के उद्देश्यों में निहित निपष्क्ष, सटीक, शांत और सभ्य तरीके से जनहित के मामलों पर समाचार, विचार, टिप्पणियां और जानकारियों को आम जनमानस तक पहुंचाना है। प्रेस के सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त व्यवसायिक मापदंडों के अनुरूप आचारण को निश्चित करने के लिए नैतिकता का समावेश पत्रकारिता में आवश्यक है जिससे प्रेस अपने कर्तव्यों का निर्वाहन मानवीय मूल्यों के अनुरूपक कर सके।

निर्णयों में पारदर्शिता और प्रेस की विश्सनीयता को बनाएं रखने के लिए प्रेस की आचार संहिता महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में प्रेस की अवधारणा मुक्त प्रेस के यप में होती है और वह स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने में सक्षम होता है ऐसे में प्रेस को सही मार्ग प्रदान करने के लिए नैतिकता का समावेश आवश्यक हो जाता है और आचार संहिता के माध्यम से प्रेस के आचरण को जनहित की ओर सफलता पूर्वक अग्रसित किया जा सकता है। आज जब प्रेस की प्रासंगिता और पहुंच में काफी बढ़ौत्तरी हुई है ऐसे में प्रेस समाज में नैतिकता को बनाए रहे और निष्पक्षता के साथ मुद्दों को उठाए इसके लिए नीतिशास्त्र या आचार यंहिता कहुत जरूरी है। प्रेस की स्वतंत्रता को आचार संहिता व्यवहारिक रूप प्रदान करती है जिससे प्रेस की विश्वसनीयता कायम रहे। प्रेस को नैतिक बनाए रखने के लिए प्रकाशित और प्रसारित विषय-वस्तु निम्न बिंदु का समावेश होना चाहिए:-

1. सत्यता 2. शुद्धता 3. उद्देश्यपरकता 4. निष्पक्षता

5. गरिमा 6. न्याययुक्त 7. सार्वजनिक जवाबदेही 8. मानवीयता

1. सत्यता

सत्यता से आशय मीडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इमानदारी और समझबूझ भरी तथ्यात्मकता से है। मीडिया प्रस्तुत सामग्री में को यथार्थ बनाएं रखना चाहिए तथा भ्रामक और अफवाहों जैसे झूठे समचारों प्रसारण और प्रकाशन से बचना चाहिए। सत्यता किसी भी समचार या रिपोर्ट की विश्वसनीयता को बढ़ा देती है और लोगों का माध्यम के प्रति विश्वास मजबूत होता है। माध्यम जनमानस की आवाज होता है और लोक कल्याण के कार्य का निर्वाहन करता है ऐसे में नैतिकता बनाएं रखने के लिए समचारो के प्रस्तुतीकरण से पूर्व उसके बारे में सही से पड़ताल करनी चाहिए जिससे सही और सत्य समाचार लोगों तक पहुंच सके और लोग सही सूचना से अवगत हो सकें।

2. शुद्धता

शुद्धता से तात्पर्य समाचार में सही ढंग से और आवश्यक तथ्यों के समावेश से है। आवश्यक तथ्य वे तथ्य होते है जो किसी भी घटना से मूल रूप से संबंध रखत हैं और उनमें किसी भी प्रकार का विचार समाहित नहीं होता और सही ढंग से आशय इन आवश्यक तथ्यों के क्रमवार प्रस्तुतीकरण से है जिससे समचार आसानी से लोगों के समझ में आ सके। समाचार में मूल्यों को बनाएं रखने के लिए शुद्धता का समावेश अति आवश्यक है क्योंकि समाचार में अनावश्यक तथ्यों को प्रस्तुत कर दिया जाएगा या समाचार में विचार को स्थान दे दिया जाएगा तो समाचार की मूल्यपरकता पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएगी तथा लोग भ्रमित हो जाएंगे।

3. उद्देश्यपरकता

किसी भी विषय की महत्ता उसकी विषयपरकता या वस्तुनिष्ठता से है। यदि बात मीडिया की करें तो वस्तुनिष्ठता का दायरा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मीडिया के द्वारा जनता में समाचार और विचारों का संप्रेषण होता है यदि इन समाचारों और विचारों में उद्देश्यपरकता नहीं होगी तो बहुत सी अनावश्यक सामग्री मीडिया के माध्यम से परोस दी जाएगी और जिससे आवश्यक सामग्री की वस्तुनिष्ठता मकजोर पड़ जाएगी। समाचार या विचार प्रस्तुतीकरण करने के पूर्व पत्रकारों को चयनित सामग्री की उद्देश्यपरकाता की जांच सही से कर लेनी चाहिए और सामग्री को अच्छे से संपादित कर देना चाहिए जिससे आवश्यक और विषयनिष्ठ सामग्री ही प्रकाशित या प्रसारित हो ।

4. निष्पक्षता

निष्पक्षता से आशय किसी भी वस्तु के संतुलित होने से है। मीडिया का कार्य समचार और विचारों का प्रस्तुतीकरण कर लोगों तक सूचना का संप्रेषण करना है ऐसे में किसी किसी समाचार या विचार को प्रस्तुत करने के लिए उसके विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करना चाहिए। समाचार और विचार के प्रस्तुतीकरण में पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना

चाहिए। प्रत्येक पक्ष को प्रस्तुत कर रिपोर्ट की विश्वसनियता को बनाए रखना मीडिया का कर्तव्य है और मीडिया के द्वारा समाज में नैतिकता को बनाएं रखने के लिए पक्ष्पातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि समाचार का सार उसके विभिन्न पक्षों के मतों में छिपा होता है और यदि उसके किसी भी पक्ष को दबा दिया जाएं तो वह अधूरा सा रह जाएगा और समाज में अधूरी जानकारी का संप्रेषण हो जाएगा और उस खबर के प्रति लोगों की धारण गलत बन जाएगी। पत्रकारिता की नैतिकता में निष्पक्षता का अहम स्थान है और मीडिया का यह कर्तव्य है कि वह इस नैतिकता को कायम रखे।

5. गरिमा

मीडिया का दर्जा लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में है और लोकतंत्र में जनमानस की आवाज के रूप में मीडिया को पहचान मिली हुई है। मीडिया के दफ्तर में रोजाना अनेको सूचनाएं आती है और मीडिया द्वारा प्रतिदिन अनेकों सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। मीडिया का समाज में सम्मानजनक स्थान है ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसी सूचनाओं को प्रेषित करे जिससे जनमानस की गरिमा को ठेस न पहुंचे और जनकल्याण में अपनी सक्रिया भूमिका सिद्ध करती रहे। मीडिया को जनमानस की भावनाओं और संस्कृति का आदर करना चाहिए और कोई ऐसी खबर नहीं प्रकाशित करनी चाहिए जिससे जनहिन न जुड़ा हो और वह किसी भी समुदाय या व्यक्ति की गरिमा को भंग करने वाली हो।

6. न्याययुक्त

मीडिया का कार्य जनमानस की आवाज को बुलंद कर आम जन को सामाजिक और संवैधानिक न्याय दिलाना है जिससे लोगों का किसी प्रकार से शोषण न हो सके। मीडिया को किसी भी समाचार या विचार को प्रस्तुत करने से पूर्व यह परख लेना चाहिए कि क्या यह समाचार या विचार न्याययुक्त है कि नहीं। मीडिया को कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उछालना चाहिए जो न्याययंगत न हो। मडिया की यह जवादेही बनती है कि वह उन मुद्दों को प्रचारित न करे जो कहीं न कहीं से समाज का शोषण करने के लिएइजाद किए गए हो। मीडिया को सामाजिक न्याय के लिए जनमानस की आवाज को बुलंद करते रहना चाहिए जिससे मीडिया अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

7. सार्वजनिक जवाबदेही

मीडिया को किसी भी मुद्दे को निष्पक्षता से उभरना चाहिए और सत्य तथ्यों की खोज करनी चाहिए जिससे विषय में उद्देश्यपरकता, गरिमा और न्याय का समावेश बना रहे क्योंकि मीडिया की समाज के प्रति जवाहबदेही बनती है कि वह किस प्रकार से आमजनमास के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और कौन-कौन से प्रयास उसके द्वारा लगातार किए जा रहे है जिससे लोकहित को बढ़ावा मिल सके तथा सामज में न्याय और परस्पर सौहार्दय बना रहे। लोकतंत्र में मीडिया समाज के हितों का रक्षक होता है ऐसे में मीडिया को सर्वाजनिक कल्याण के कार्यों को निष्पादित करने में

पअनी अधिक से अधिक ऊर्जा लगानी चाहिए जिससे कि मीडिया पर लोगों का विश्वास बना रहे और मीडिया अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे।

8. मानवीयता

आज जब मानव के अमानवीय व्यवहार से पूरा विश्व परेशान है ऐसे में मीडिया को समाजिक मूल्यों के प्रति सचेत रहते हुए समाज के मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। मीडिया को कोई ऐसा प्रकाशन और प्रसारण नहीं करना चाहिए जो मानवीय मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। मानव समाज का आधार ही सामाजिक मूल्यों पर आध्धारित है और मीडिया समाज का अंग है। मीडिया की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह मानवीय व्यवहारों के तहत ही व्यवहार करे और सामाजिक मूल्यों का सम्मान करे तथा इनके भरण पोषण के लिए आवश्यक जागरूकता फैलाने का कार्य करे जिससे कि मानवीय मूल्य बने रहे और अमानवीय व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके।

4.4 श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी

श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1955:-

पत्रकारिता व्यवसाय से सम्बंधित पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए संसद ने प्रथम प्रेस आयोग (1954) की अनुसंशाओं को स्वीकार कर यह अधिनियम 1955 में पारित किया था| इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम प्रेस आयोग (1954) की सिफारिसों और देश के पत्रकारों की चिरकालीन मांग के फलस्वरूप संसद ने 1955 में पारित किया गया था| इस अधिनेयम का उद्देश्य समाचार पत्रों और संवाद समितियों में कार्य करने वाले श्रमजीवी पराकारों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों का निर्धारण तथा विनियमित करना है| इससे पहले समाचार पत्रों के कर्मचारियों को श्रेणीबद्ध करने, कार्य के न्यूनतम गंतों का निर्धारण, छुट्टी, वेतन के निर्धारण और पुनर्निरीक्षण करने, भविष्यनिधि तथा ग्रेच्युटी के बारे में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी|

इस कानून के द्वारा पत्रकारों के विशेष कार्यों और उनकी गरिमा को मान्यता देते हुए संपादक और श्रमजीवी पत्रकारों के हित में कुछ विशेष प्रावधान किए गए| इस कानून के आधार पर पत्रकारों को सामान्य श्रमिकों से जो औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1947 के अंतर्गत शामिल लोगों से कुछ अधिक लाभ मिलते हैं| पहले यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं था पर 1970 में इसको विस्तृत करके वहां पर भी लागू कर दिया गया|

अधिनियम में कुल *उन्नीस धाराएँ* तथा *पांच अध्याय* हैं|

अधिनियम के प्रथम अध्याय की धारा दो में तकनीकी शब्द जैसे बोर्ड, समाचार पत्र, समाचार पत्र कर्मचारी, समाचार पत्र गैर-पत्रकार कर्मचारियों को परिभाषित किया गया है| अधिनियम के अंतर्गत श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों दो भिन्न-भिन्न श्रेणियों में रखा गया है|

श्रमजीवी पत्रकार

पत्रकारिता व्यवसाय में जो व्यक्ति मुख्य रूप से पत्रकारिता करते हैं उनको अधिनियम में श्रमजीवी पत्रकार के श्रेणी में शामिल किया गया है|

श्रमजीवी पत्रकारों का वर्गीकरण

1. संपादक	2. अग्रलेखक	3. समाचार संपादक	4. उप संपादक
5. फीचर लेखक	6. कॉपी-टेस्टर	7. संवाददाता	8. कॉरेस्पोंडेंट
9. कार्टूनिस्ट	10. फोटो जर्नलिस्ट	11. प्रूफरीडर	

उर्दू-फ़ारसी के कातिब, रेखा चित्रकार और सन्दर्भ सहायकों को अधिनियम में स्राजिवी पत्रकार की स्रेनी में नहीं रखा है लेकिन न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार वे इस श्रेणी में जुड़ गए हैं| अंशकालिक कार्य करने वाले पत्रकार यदि उनका मूल व्यवसाय पत्रकारिता है तो वह भी श्रमजीवी पत्रकार की श्रेणी में आते हैं|

गैर पत्रकार

अधिनयम में उन व्यक्तियों को जो मुख्य रूप से पत्रकारिता व्यवसाय में पत्रकारिता न करके प्रबंध और प्रशासन का कार्य करते हैं या सुपरवाइजर की हैसियत से नियुक्त किए गए हैं उनको गैर पत्रकार कहा जाता है और वे श्रमजीवी पत्रकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं|

गैर पत्रकारों का वर्गीकरण

1. प्रबंधक	2. विज्ञापन विभाग के कर्मचारी	3. लेखा विभाग के कर्मचारी
4. प्रसार विभाग के कर्मचारी	5. मशीनमैन	6. मेकअपमैन
7. कम्पोजीटर	8. लिपिक	

4.5 प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990

प्रसार भारती, भारतीय प्रसारण निगम, अधिनियम के शक्ति के रूप में आने के उपरांत इसे प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990' के रूप में कहा जा सकता है। यह अधिनियम भारतीय गणतंत्र अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियत तिथि से प्रभावी माना जाता है। अधिनियम में कई पारिभाषिक शब्दावलियों का उपयोग हुआ है|

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम के अंतर्गत 'आकाशवाणी का तात्पर्य केन्द्रीय सचूना और प्रसारण मंत्रालय के महानिदेशक (आकाशवाणी) के अधीन कार्यालयों, केन्द्रों और अन्य प्रवर्तनों या जो भी नामकरण किया गया हो, कि नियत तिथि से तत्काल पूर्व हिस्सा रूपी आकृति है। यहाँ नियत तिथि से आशय अनुच्छेद(3) के अंतर्गत नियुक्त दिनांक से है। यहाँ 'प्रसारण का अर्थ सम्प्रेषण के किसी भी रूप जैसे संकेत, लेखनी, चित्रों, प्रतिबिम्बों और ध्वनियों आदि को विद्युत -चुंबकीय तरंगो के माध्यम से अंतर अथवा मोटे तार (Cable) के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता तक उपलब्ध करवाना है। यह कार्य रिले केन्द्रों के द्वारा किया जाता है। अधिनियम में लिखे बोर्ड (Board) से आशय 'प्रसार भारती बोर्ड से है।

'प्रसारण परिषद्' का अर्थ अनुच्छेद(14) के अंतर्गत स्थापित परिषद् से है। इसी प्रकार अध्यक्ष का अर्थ अनुच्छेद(4) में एवं निगम का अर्थ अनुच्छेद(3) के अंतर्गत स्थापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में बताया है। अधिनियम में निर्दिष्ट 'दूरदर्शन' का अर्थ केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के महानिदेशक (दूरदर्शन) के अधीन कार्यालयों, केन्द्रों और अन्य प्रवर्तनों या जो भी नाम दिया गया हो, कि नियत दिन से तत्काल पहले हिस्से रूपी आकृति से है। यही 'केंद्र' का अर्थ प्रसारण केंद्र स्टूडियो या संप्रेषित या दोनों हो, साथ ही रिले स्थान भी हो। अधिनियम में प्रयुक्त वर्ष का आशय वित्तीय वर्ष से है। 'निष्पादक सदस्य', 'सदस्य (वित्त)', 'सदस्य (कार्मिक)', 'अंशकालिक सदस्य' का विस्तार से उल्लेख अनुच्छेद (4) में दर्शाया गया है।

'सदस्य' का आशय 'बोर्ड के सदस्य' से है। 'मनोनीत सदस्य' का अर्थ अनुच्छेद(3) के अंतर्गत केन्द्रीयसूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मनोनीत सदस्य से है। अधिनियम में दर्शाए 'उचित कोष' का अर्थ आकाशवाणी और दूरदर्शन के व्यवसायिक राजस्व से सृजित वह कोष है जो निश्चित योजनाओं पर व्यय के लिए हो। अधिनियम में बताए गए 'पूर्ण कालिक सदस्य' का अर्थ निष्पादक सदस्य, सदस्य (वित्त) या सदस्य (कार्मिक) से है। अधिनियम में बताये गए भर्ती बोर्ड का अर्थ अनुच्छेद(10) के उप-अनुच्छेद(1) के अंतर्गत स्थापित समिति से है। निर्धारण का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारण से है, साथ ही 'नियमन' का अर्थ इस अधिनियम के तहत निगम द्वारा लागू नियमन से है।

4.6 सारांश

प्रस्तुत इकाई में अपने प्रेस परिषद के बारे में जानकारी मिल गई, साथ ही आपने यह भी जान लिया होगा कि प्रकारिता की क्या-क्या नैतिकताएं हैं| आपकों श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के बारे में पढ़ कर पत्रकारों और गैर पत्रकारों के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी, साथ ही समाचार पत्रों के कर्मचारियों लिए बनी सेवा शर्तों और नियमों का भी पता चल गया होगा, किस प्रकार से प्रिंट पत्रकारों के लिए संगठन के क्या-क्या कर्तव्य है और किस प्रकार से उनको पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए| प्रसार भारती अधिनियम 1990 के बारे में जान कर आकाशवाणी और दूरदर्शन की प्रसारण नियमों का पता चल गया होगा|

4.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. **अतिलघु उत्तरीय प्रश्न**

    - सन 1955 में कौन सा नियम पत्रकारों के लिए बना?

- अग्रलेखक को किस श्रेणी में रखा गया है?
- विज्ञापन विभाग के कर्मचारी किस श्रेणी में आते हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न

2. निष्पक्षता से आप क्या समझते हैं?
3. गैर पत्रकार को विवेचित कीजिए|
4. सार्वजनिक जवाबदेही से आप क्या समझते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

5. भारतीय प्रेस परिषद से आप क्या समझते हैं? इसके कार्यों और उद्देश्यों को समझाइए|
6. पत्रकारिता की नैतिकता को विस्तार से विवेचित कीजिए।
7. श्रमजीवी पत्रकारों से आप क्या समझते हैं? समाचार पत्र कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा कानूनी प्रवधानों का विश्लेषण कीजिए|
8. प्रसार भारती अधिनियम 1990 की चर्चा कीजिए|

4.8 उपयोगी पुस्तकें

1. द्विवेदी, मनीषा (2006). पत्रकारिता एवं प्रेस कानून. नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर.

2. प्रो. त्रिखा, नंदकिशोर (2007). प्रेस विधि. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन.

इकाई 5

प्रेस की स्वतंत्रता व नैतिकता

इकाई की रूपरेखा

5.1 उद्देश्य

5.2 प्रस्तावना

5.3 प्रेस की स्वतंत्रता

5.4 मीडिया और नैतिकता

5.5 मीडिया की आचार संहिता

5.6 साहित्यिक चोरी

5.7 सारांश

5.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

5.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

5.1 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरांत हम निम्न तथ्यों से परिचित हो जाएंगे।

- मीडिया की स्वतंत्रता की अवधारणा को परिभाषित करना।
- मीडिया की नैतिकता की अवधारणा का वर्णन करना।
- मीडिया की नैतिकता और उसके अनुपालन को विवेचित करना।
- साहित्यिक चोरी को परिभाषित करना।

5.2 प्रस्तावना

मित्रों पिछली इकाई में हमने पत्रकारों के अधिकारों के बारे में जाना और इससे सम्बंधित तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत हुए। इस इकाई में हम प्रेस कि स्वतंत्रता और नैतिकता के बारे जानेगे और साथ ही इससे जुड़ी तमाम जरुरी बातों कि चर्चा करेंगे तहत संक्षेप में साहित्यिक चोरी के बारे में भी जानकारी परत करेंगे। आइए मित्रों अब आगे पढ़ाना शुरू करते हैं :-

मीडिया संचार का एक बहुत ही ताकतवर और महत्वपूर्ण उपकरण के तौर है। मीडिया वाक् और अभिव्यक्ति को स्वतंत्र मंच प्रदान करता है कि आम जन की आवाज को बल मिल सके। मीडिया का कार्य संदेश को संचारित कर लोगों को सूचनाओं से अवगत करना है। किसी भी सूचना को उसी रूप में पहुंचाने के लिए प्रेस या मीडिया को स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। मीडिया अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो निष्पक्षता से मुद्दे उभर कर सामने नहीं आएंगे।

अगर भारत के संविधान के बारे में बात करें तो संविधान में वाक् और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल मंत्र ही मीडिया को स्वतंत्र बनाने में मंच की भांति कार्य कर रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता देश में लोकतंत्र की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है पर हर एक स्वतंत्रता की कुछ नैतिकताएं होती हैं और उन नैतिकताओं के जरिए देश और समाज को दिशा प्रदान करने में मदद मिलती है। नैतिकताओं से अभिप्रायः किसी विचार को समाज के दृष्टिकोण से मर्यादित करने से है। यानी समाज की संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप सामाजिक दृष्टिकोण से किसी भी तथ्य को प्रस्तुत करने से है और अनैतिक या असामाजिक तथ्यों को प्रसारित या प्रकाशित करने से रोकने से है। नैतिकता वह स्वतंत्रता है जो समाज में मूल्यों को बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान करती है और समाज को अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र मंच प्रदान करती है। प्रेस की स्वतंत्रता में नैतिकता का भाव प्रेस को समृद्ध बनाता है जिससे मीडिया स्वस्थ मीडियाको दिशा देता है और लोककल्याण के मुद्दों को जगह मिल पाती है।

5.3 प्रेस की स्वतंत्रता

किसी भी देश में सुशासन और व्यवस्थाओं को लोक हित में कारगर बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। इस स्वतंत्रता से आशय किसी भी व्यक्ति को देश में मत प्रकट करने की स्वतंत्रता से है। प्रेस की स्वतंत्रता भी आम जन से जुड़ी हुई है क्योंकि प्रेस का मुख्य आयाम ही जनता की आवज को सरकार तक पहुंचाना है तथा जनता के हितों की रक्षा करना है। इस कार्य को निर्भयता पूर्वक करने के लिए प्रेस को स्वतंत्र होना आवश्यक है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का मुख्य स्त्रोत संविधान में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रेस को मुक्त प्रेस की संज्ञा प्रदान करने में संविधान के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार को मुख्य योगदान है। स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में व्याख्यायित किया है न्यायालय के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता से यह आशय है कि प्रेस या व्यक्ति संविधान के अधिकारों को स्वतंत्रता के रूप में प्रयोग कर सकता है। सूचना आदान प्रदान करने के कार्यों का स्वतंत्रता पूर्वक निर्वाहन करने में प्रेस स्वतंत्र है। प्रेस की स्वतंत्रता को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता हैः-

1. समाचार और विचार -वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस समाचारों विचारों का संकलन कर उनका मुद्रण और प्रकाशन के साथ जनता में वितरण करने के लिए स्वतंत्र है। प्रेस को स्वतंत्रता है कि वह किसी भी समाचार का संकलन कर सकता है वह किसी भी स्थान पर जा कर समाचार की समाग्री जुटा सकता है साथ ही किसी भी मुद्दे पर स्वतंत्र विचार प्रकट कर सकता है।

2. मुद्रण एवं प्रकाशन-प्रेस किसी भी समचार को संकलित करने के उपरांत उसका मुद्रण और प्रकाशन कर सकता है। किसी भी समाचार के मुद्रण और प्रकाशन को करने या न करने के लिए समाचार पत्र या पत्रिका को बाध्य नहीं किया जो सकता है। प्रेस पूरी तरह से स्वछंद हो कर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है।

3. समाचार पत्र-पत्रिकाओं का प्रसार-समाचार संकलन और प्रकाशन के उपरांत प्रेस इस सामग्री को जनता में वितरित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। प्रेस द्वारा तैयार किया गया समाचार पत्र या पत्रिका स्वतंत्र रूप से वितरित किया जा सकता है इसमें किसी भी तरह का दबाव बनाकर इसके प्रसार पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

4. खुला विचार मंच-प्रेस विचार मंचों के माध्यम से किसी जनहित के मुद्दे पर विचार के लिए लोगों को आमंत्रित कर बहस करके विचारों का आदान प्रदान कर लोगों के मत को आम जनमानस के साथ साझा कर सकता है।

5. सार्वजनिक कार्यों की सामाजिक समीक्षा-प्रेस सार्वजनिक कार्यों की समीक्षा कर सकता है और जनहित और समाज से जुड़े कार्यों की प्रगति रिर्पोट मांग सकता है। सरकार के कार्यों कौन-कौन से कार्य करावा रही है और अनकी प्रगति क्या है यह जान कर इसका प्रकाशन कर जनता को इससे अवगत कराने की स्वतंत्रता प्रेस के पास है। प्रेस को स्वतंत्रता है कि वह किसी निजी संस्थान के कार्यों की भी समीक्षा कर सकता है अगर निजी संस्थान द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो आम जनमानस या जनहित से जंड़ा है।

6. सरकारी नियंत्रण मुक्त-प्रेस पर सरकार किसी भी प्रकार का नियंत्रण नही लगा सकती हैं प्रेस पूरी तरह से किसी भी जनहित या सार्वजनिक मुद्दे को प्रकाशित और प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र है। इसकी स्वतंत्रता को किसी प्रकार प्रभावित करना या उस पर नियंण लगाना कानूनी तौर असंवैधानिक है और यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी मौलिक अधिकारों या मानवाधिकारों का हनन माना जाएगा, कितुं सरकार आपतकाल की स्थिति में प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा कर नियंत्रण कर जा सकती है। वहीं मूल्य निर्धारण करने की स्वतंत्रता है और किसी भी सरकारी और गैर सरकारी विज्ञापन को छापने से इनकार करने की स्वंत्रता प्रेस को प्राप्त है। प्रेस पर कोई ऐसा अतिरिक्त कर नहीं लगाया जा सकता जिसके भार से पत्र-पत्रिकों के बंद होने के आसार हों। साथ ही प्रेस के विरूद्ध कोई ऐसा कानून नहीं बनया जा सकता जो उसकी स्वतंत्रा को या उसके प्रकाशन या प्रसारण को नियंत्रित करने का कार्य करे। प्रेस संस्थागत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है जैसे पत्रकारों और कर्मचारियों की नियुक्ति औद्योगिक संबंधों आदि संबंधित किसी भी मुद्दे पर प्रेस को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

5.4 मीडिया और नैतिकता

हर एक क्षेत्र में नैतिकता को प्रश्न लगातार सामने आता रहा है। नैतिकता से अभिप्रायः समाजिक मूल्यों से है। समाज में स्वस्थ महौल को बनाए रखने में नैतिकता की भूमिका अहम है किसी की स्वतंत्रता तब तक ही स्वंतंत्रा मानी जाती है

जब तक वह नैतिक मूल्यों को अपने में समाहित करे रहती है नेतिक मूल्यों का हनन ही नैतिकता का हनन है। मीडिया में नैतिकता की बात करें तो लोकतंत्र में मीडिया समाज की अवाज के तौर पर आपनी भूमिका का निर्वाहन करता है मीडिया की नैतिकता का पैमाना समाज के मानवीय मूल्यों पर आधारित है। मीडिया की नैतिकता यह है कि वह सत्यता और दृढ़ता से तथ्यों को प्रस्तुत करें। मीडिया की नैतिकता एक मापडंड है जो स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार के मध्य अंतर को प्रदर्शित करता है। नैतिकतासही गलत, अच्छे बुरे, जिम्मेदार गैरजिम्मेदार, निर्दोष या कसूरवार के मध्य अंतर स्पष्ट करने का नजरिया है जो पत्रकारों को मीडियामें नैतिक मूल्यों का बोध कराता है। मीडियाके नैतिक सिद्धांत पत्रकारों को समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराने का कार्य करते हैं।

मीडिया की नैतिकता की आचार संहिता मौलिक रूप से मीडिया के उद्देश्यों में निहित निपष्क्ष, सटीक, शांत और सभ्य तरीके से जनहित के मामलों पर समाचार, विचार, टिप्पणियां और जानकारियों को आम जनमानस तक पहुंचाना है। प्रेस के सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त व्यवसायिक मापदंडों के अनुरूप आचारण को निश्चित करने के लिए नैतिकता का समावेश मीडियामें आवश्यक है जिससे प्रेस अपने कर्तव्यों का निर्वाहन मानवीय मूल्यों के अनुरूपक कर सके।

निर्णयों में पारदर्शिता और प्रेस की विश्सनीयता को बनाएं रखने के लिए प्रेस की आचार संहिता महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में प्रेस की अवधारणा मुक्त प्रेस के यप में होती है और वह स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने में सक्षम होता है ऐसे में प्रेस को सही मार्ग प्रदान करने के लिए नैतिकता का समावेश आवश्यक हो जाता है और आचार संहिता के माध्यम से प्रेस के आचरण को जनहित की ओर सफलता पूर्वक अग्रसित किया जा सकता है। आज जब प्रेस की प्रासंगिता और पहुंच में काफी बढ़ौत्तरी हुई है ऐसे में प्रेस समाज में नैतिकता को बनाए रहे और निष्पक्षता के साथ मुद्दों को उठाए इसके लिए नैतिकताया आचार संहिता बहुत जरूरी है। प्रेस की स्वतंत्रता को आचार संहिता व्यवहारिक रूप प्रदान करती है जिससे प्रेस की विश्वसनीयता कायम रहे।

5.5 मीडिया की आचार संहिता

मीडिया की आचार संहिता एक मापडंद है जो स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार के मध्य अंतर को प्रदर्शित करता है। आचार संहिता सही गलत, अच्छे बुरे, जिम्मेदार गैरजिम्मेदार, निर्दोष या कसूरवार के मध्य अंतर स्पष्ट करने का नजरिया है जो पत्रकारों को मीडियामें नैतिक मूल्यों का बोध कराता है। मीडिया के नैतिक सिद्धांत पत्रकारों को समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराने का कार्य करते हैं। मीडिया की आचार संहिता की आचार संहिता मौलिक रूप से मीडिया के उद्देश्यों में निहित निपष्क्ष, सटीक, शांत और सभ्य तरीके से जनहित के मामलों पर समाचार, विचार, टिप्पणियां और जानकारियों को आम जनमानस तक पहुंचाना है। प्रेस के सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त व्यवसायिक मापदंडों के अनुरूप आचारण को निश्चित करने के लिए आचार संहिता का समावेश मीडियामें आवश्यक है जिससे प्रेस अपने कर्तव्यों का निर्वाहन मानवीय मूल्यों के अनुरूपक कर सके। निर्णयों में पारदर्शिता और प्रेस की विश्सनीयता को बनाएं रखने के लिए प्रेस की आचार संहिता महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में प्रेस की अवधारणा मुक्त प्रेस के

यप में होती है और वह स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने में सक्षम होता है ऐसे में प्रेस को सही मार्ग प्रदान करने के लिए आचार संहिता का समावेश आवश्यक हो जाता है और आचार संहिता के माध्यम से प्रेस के आचरण को जनहित की ओर सफलता पूर्वक अग्रसित किया जा सकता है। आज जब प्रेस की प्रासंगिता और पहुंच में काफी बढ़ौत्तरी हुई है ऐसे में प्रेस समाज में आचार संहिता को बनाए रहे और निष्पक्षता के साथ मुद्दों को उठाए इसके लिए आचार संहिताया आचार संहिता बहुत जरूरी है। प्रेस की स्वतंत्रता को आचार संहिता व्यवहारिक रूप प्रदान करती है जिससे प्रेस की विश्वसनीयता कायम रहे।

5.5.1 मीडिया की आचार संहिता के मुख्य तत्व

प्रेस को नैतिक बनाए रखने के लिए प्रकाशित और प्रसारित विषय-वस्तु निम्न तत्वों का समावेश होना चाहिएः-

1. सत्यता बनाए रखना 2. शुद्धता का ख्याल रखना
3. उद्देश्यपरक होना 4. निष्पक्ष रहना 5. गरिमा बनाए रखना
6. न्याययुक्त बनना 7. सभी के प्रति जवाबदेही 8. मानवीय गुण दिखाना

1. सत्यता बनाए रखना-सत्यता से आशय मीडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ईमानदारी और समझबूझ भरी तथ्यात्मकता से है। मीडिया प्रस्तुत सामग्री में को यथार्थ बनाएं रखना चाहिए तथा भ्रामक और अफवाहों जैसे झूठे समचारों प्रसारण और प्रकाशन से बचना चाहिए। सत्यता किसी भी समाचार या रिपोर्ट की विश्वसनीयता को बढ़ा देती है और लोगों का माध्यम के प्रति विश्वास मजबूत होता है। माध्यम जनमानस की आवाज होता है और लोक कल्याण के कार्य का निर्वाहन करता है ऐसे में नैतिकता बनाएं रखने के लिए समाचारों के प्रस्तुतीकरण से पूर्व उसके बारे में सही से पड़ताल करनी चाहिए जिससे सही समाचार लोगों तक पहुंच सके और लोग सही सूचना से अवगत हो सकें।

2. शुद्धता का ख्याल रखना-समाचार में मूल्यों को बनाएं रखने के लिए शुद्धता का समावेश अति आवश्यक है क्योंकि समाचार में अनावश्यक तथ्यों को प्रस्तुत कर दिया जाएगा या समाचार में विचार को स्थान दे दिया जाएगा तो समाचार की मूल्यपरकता पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएगी तथा लोग भ्रमित हो जाएंगे। शुद्धता से तात्पर्य समाचार में सही ढंग से और आवश्यक तथ्यों के समावेश से है। आवश्यक तथ्य वे तथ्य होते हैं जो किसी भी घटना से मूल रूप से संबंध रखत हैं और उनमें किसी भी प्रकार का विचार समाहित नहीं होता और सही ढंग से आशय इन आवश्यक तथ्यों के क्रमवार प्रस्तुतीकरण से है जिससे समाचार आसानी से लोगों के समझ में आ सके।

3. उद्देश्यपरक होना-किसी भी विषय की महत्ता उसकी विषयपरकता या वस्तुनिष्ठता से है। यदि बात मीडिया की करें तो वस्तुनिष्ठता का दायरा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मीडिया के द्वारा जनता में समाचार और विचारों का संप्रेषण होता है यदि इन समाचारों और विचारों में उद्देश्यपरकता नहीं होगी तो बहुत सी अनावश्यक सामग्री मीडिया के माध्यम से परोस दी जाएगी और जिससे आवश्यक सामग्री की वस्तुनिष्ठता कमजोर पड़ जाएगी। समाचार

या विचार प्रस्तुतीकरण करने के पूर्व पत्रकारों को चयनित सामग्री की उद्देश्यपरकता की जांच सही से कर लेनी चाहिए और सामग्री को अच्छे से संपादित कर देना चाहिए जिससे आवश्यक सामग्री ही प्रकाशित या प्रसारित हो।

4. निष्पक्ष रहना-निष्पक्षता से आशय किसी भी वस्तु के संतुलित होने से है। मीडिया का कार्य समचार और विचारों का प्रस्तुतीकरण कर लोगों तक सूचना का संप्रेषण करना है ऐसे में किसी किसी समाचार या विचार को प्रस्तुत करने के लिए उसके विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करना चाहिए। समाचार और विचार के प्रस्तुतीकरण में पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। प्रत्येक पक्ष को प्रस्तुत कर रिपोर्ट की विश्वसनियता को बनाए रखना मीडिया का कर्तव्य है और मीडिया के द्वारा समाज में नैतिकता को बनाएं रखने के लिए पक्ष्पातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि समाचार का सार उसके विभिन्न पक्षों के मतों में छिपा होता है और यदि उसके किसी भी पक्ष को दबा दिया जाएं तो वह अधूरा सा रह जाएगा और समाज में अधूरी जानकारी का संप्रेषण हो जाएगा और उस खबर के प्रति लोगों की धारण गलत बन जाएगी।

5.गरिमा बनाए रखना-मीडिया का दर्जा लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में है और लोकतंत्र में जनमानस की आवाज के रूप में मीडिया को पहचान मिली हुई है। मीडिया के दफ्तर में रोजाना अनेक सूचनाएं आती है और मीडिया द्वारा प्रतिदिन अनेक सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। मीडिया का समाज में सम्मानजनक स्थान है ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसी सूचनाओं को प्रेषित करे जिससे जनमानस की गरिमा को ठेस न पहुंचे और जनकल्याण में अपनी सक्रिया भूमिका सिद्ध करती रहे।

6. न्याययुक्त बनना-मीडिया का कार्य जनमानस की आवाज को बुलंद कर आम जन को सामाजिक और संवैधानिक न्याय दिलाना है जिससे लोगों का किसी प्रकार से शोषण न हो सके। मीडिया को किसी भी समाचार या विचार को प्रस्तुत करने से पूर्व यह परख लेना चाहिए कि क्या यह समाचार या विचार न्याययुक्त है कि नहीं। मीडिया को कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उछालना चाहिए जो न्याययंगत न हो। मडिया की यह जवादेही बनती है कि वह उन मुद्दों को प्रचारित न करे जो कहीं न कहीं से समाज का शोषण करने के लिएइजाद किए गए हो। मीडिया को सामाजिक न्याय के लिए जनमानस की आवाज को बुलंद करते रहना चाहिए जिससे मीडिया अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

7. सभी के प्रति जवाबदेही-मीडिया को किसी भी मुद्दे को निष्पक्षता से उभरना चाहिए और सत्य तथ्यों की खोज करनी चाहिए जिससे विषय में उद्देश्यपरकता, गरिमा और न्याय का समावेश बना रहे क्योंकि मीडिया की समाज के प्रति जवाहबदेही बनती है कि वह किस प्रकार से आमजनमास के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और कौन-कौन से प्रयास उसके द्वारा लगातार किए जा रहे है जिससे लोकहित को बढ़ावा मिल सके तथा सामज में न्याय और परस्पर सौहार्दय बना रहे। लोकतंत्र में मीडिया समाज के हितों का रक्षक होता है ऐसे में मीडिया को सर्वाजनिक कल्याण के कार्यों को निष्पादित करने में पअनी अधिक से अधिक ऊर्जा लगानी चाहिए जिससे कि मीडिया पर लोगों का विश्वास बना रहे और मीडिया अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे।

8. मानवीय गुण दिखाना-आज जब मानव के अमानवीय व्यवहार से पूरा विश्व परेशान है ऐसे में मीडिया को समाजिक मूल्यों के प्रति सचेत रहते हुए समाज के मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। मीडिया को कोई ऐसा प्रकाशन और प्रसारण नहीं करना चाहिए जो मानवीय मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। मानव समाज का आधार ही सामाजिक मूल्यों पर आध्धरित है और मीडिया समाज का अंग है। मीडिया की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह मानवीय व्यवहारों के तहत ही व्यवहार करे और सामाजिक मूल्यों का सम्मान करे तथा इनके भरण पोषण के लिए आवश्यक जागरूकता फैलाने का कार्य करे जिससे कि मानवीय मूल्य बने रहे और अमानवीय व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके।

7.6 साहित्यिक चोरी

साहित्यिक चोरी से अभिप्राय किसी के मौलिक साहित्य को अपने नाम से प्रकाशित कर लेने से है| यदि आप किसी व्यक्ति की बौद्धिक सम्पदा को अपनी बौद्धिक सम्पदा के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार का कार्य साहित्यिक चोरी के रूप में माना जायेगा| साहित्यिक चोरी क़ानूनी अपराध नहीं है पर नैतिक रूप से अपराध के श्रेणी में आता है| बौद्धिक सम्पदा अभिप्राय किसी के विचार, शोध, साहित्य, खोज आदि को किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक सम्पदा कहते हैं| बौद्धिक सम्पदा पर व्यक्ति को कानूनी हक प्राप्त होतवा है| जिससे वह व्यक्ति क़ानूनी तौर पर इस सम्पदा का मालिक होता है यदि बौद्धिक सम्पदा को व्यक्ति की जानकारी के बगैर या उसका सन्दर्भ दिए बिना अपने नाम से प्रकाशित कर लिया जाए तो यह साहित्यिक चोरी के दायरे में अत है और नैतिक तौर पर अमान्य है साथी इकसे खिलाफ न्यायलय में भी वाद प्रस्तुत किया जा सकता है| और दोषी व्यक्ति को न्यायलय दण्डित भी कर सकता है और जुर्माना भी कर सकता है|

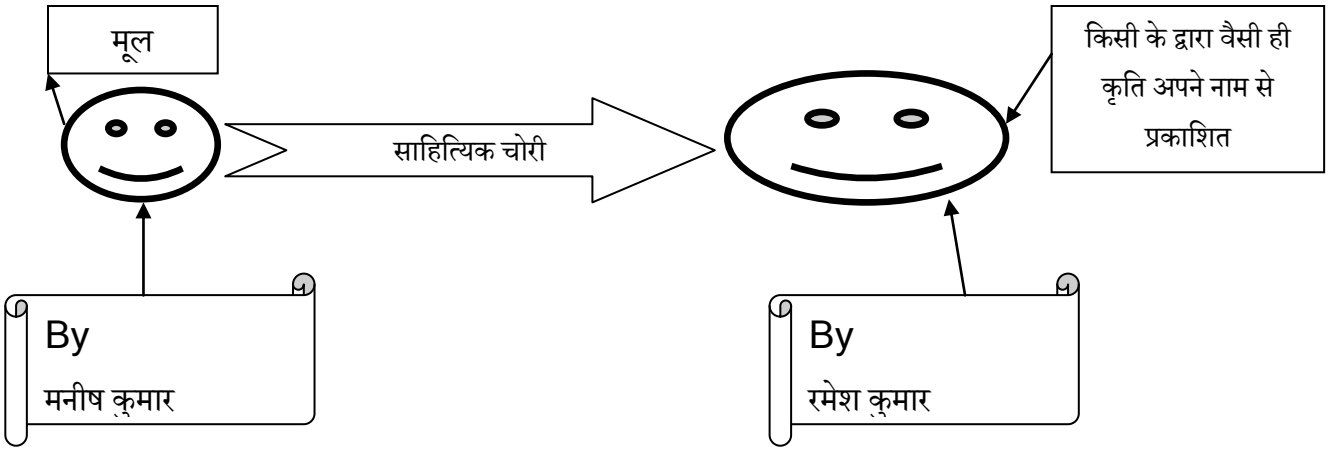

उक्त चित्र में दर्शाए गए तथ्य पर यदि नजर डाले तो यह साफ हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने किस अन्य व्यक्ति के विचार को या कृति को थोडा सा बड़ा करके अपने नाम से प्रकाशित करवा लिया है यह कृत्य साहित्यिक चोरी के दायरे में आता है|

5.7 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपको मीडिया की स्वतंत्रता के बारे जानकारी मिल गई होगी अतः यह पता चल गया होगा कि लोकतंत्र में किस प्रकार से मीडिया मुक्त प्रेस की अवधारणा धारण किये हुए है| आपने मीडिया की स्वतंत्रता के बारे जानने के साथ साथ उसकी नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में भी जान गए होंगे| इकाई में वर्णित साहित्यिक चोरी के बारे में जानने के बाद आपको बौद्धिक सम्पदा के सम्बन्ध में नैतिकता का ज्ञान भी हो गया होगा|

5.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. **अतिलघु उत्तरीय प्रश्न**
    - मुद्रण एवं प्रकाशन से क्या अभिप्राय है?
    - बौद्धिक सम्पदा क्या है?
    - खुले विचार मंच से के तात्पर्य है?

लघु उत्तरीय प्रश्न

2. साहित्यिक चोरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
3. न्याययुक्त से आप क्या समझते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

4. मीडिया की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? मीडिया की नैतिकता की अवधारणा का वर्णन कीजिए।
5. मीडिया की नैतिकता और उसके अनुपालन को विवेचित कीजिए।
6. साहित्यिक चोरी पर टिप्पणी लिखिए|

5.9 उपयोगी पुस्तकें

1. द्विवेदी, मनीषा (2006). पत्रकारिता एवं प्रेस कानून. नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर.

2. प्रो. त्रिखा, नंदकिशोर (2007). प्रेस विधि. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन.

इकाई -6

मीडिया और गोपनीयता

इकाई की रूपरेखा

6.1 उद्देश्य
6.2 प्रस्तावना
6.3 मीडिया और गोपनीयता में घुसपैठ
6.4 सनसनीखेज कवरेज
6.5 स्टिंग आपरेशन
6.6 पापाराज्जी
6.7 पीत पत्रकारिता
6.8 सारांश
6.9 अभ्यासार्थ प्रश्न
6.10 उपयोगी पुस्तकें

6.1 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरांत हम निम्न तथ्यों से परिचित हो जाएंगे।

- गोपनीयता में मीडिया की घुसपैठ और कानूनी प्रावधान।
- मीडिया की सनसनीखेजता की चर्चा करना।
- मीडिया में स्टिंग आपरेशन को परिभाषित करना।
- पापाराज्जी की अवधारणा पर चर्चा करना।
- पीत पत्रकारिता की अवधारणा का वर्णन करना।

6.2 प्रस्तावना

मित्रों पिछली इकाई में हम प्रेस की स्वतंत्रता और नैतिकता के बारे में अवगत हुए साथ ही हमने संक्षेप में साहित्यिक चोरी के बारे में भी जाना। इस इकाई में हम मीडिया और गोपनीयता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे साथ ही मीडिया की लोगों के व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ की भी चर्चा करेंगे। संक्षेप में हम पापारात्सी और पीत पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जानकारी से भी अवगत हो जाएंगे। आइए मित्रों अब आगे पढ़ाना शुरू करते हैं :-

प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा से जीवन जीने के समग्र अधिकारों में गोपनीयता का भी अधिकार है। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ से अनायास ही उसकी गोपनीयता भंग होती है। कुछ देशों में गोपनीयतापर कानून बने हुए हैं। लगभग सभी देशों गोपनीयता को लेकर बहस चलती रहती है और कानूनी प्रवधानों से व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ को कम करने के लिए प्रयत्न किए जाते रहते हैं। सन् 1940 के बाद गोपनीयता अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा रही है और जनहित के मामलों को छोड़कर व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। भारतीय संविधान में निजता के अधिकार के बाद भी व्यक्ति की व्यक्त्गित गोपनीयता पर खतरा बना रहता है। संविधान में अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता की गारंटी में निजता का अधिकार निहित है। आज दिन ब दिन मीडिया की घुसपैठ व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में बढ़ती जा रही है और इससे व्यक्ति की गोपनीयता प्रभावित हो रही है। आज मीडिया द्वारा सनसनीखेज कवरेज, स्टिंग आपरेशन, पापारात्सी और पीत पत्रकारिता आदि के चलते व्यक्तियों की निजता भंग हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से आज तकनीकी उपकरणों से पेन आदि में कैमरा और अन्य तरह के उपकरणों ने इलेक्ट्रानिक माध्यमों में सनसनीखेज कवरेज और स्टिंग आपरेशनों को बढ़ावा दिया है और पापारात्सी और पीत पत्रकारिता की अवधारणा ने व्यक्तिगत गोपनियता को काफी प्रभावित किया है। मीडिया में आज जनहित के लिए गोपनियता भंग करने के मामले कम उजागर होते हैं पर सेलीब्रिटी या अन्य किसी फेमस व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनीयता को अधिक उभारा जा रहा है जिससे व्यक्ति की निजता प्रभावित हो रही है।

6.3 मीडिया और गोपनीयता में घुसपैठ

मीडिया का कार्य जनहित के मुद्दों को निष्पक्षता से उभारना और जनकल्याण के लिए कार्य करना है किंतु वर्तमान में मीडिया की प्रकृति में बदलाव देखा जा रहा है व्यवसायीकरण की दौड़ उमें मीडिया टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट) के चक्कर में व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ कर उसकी गोपनीयता को भंग कर रहा है। आज किसी अदाकारा की संदिग्ध तस्वीरें खीच कर प्रकाशित करना आम बात हो गई है या किसी के निजी जीवन में झाकना मीडिया की फितरत होती जा रही है। किसी के भी जीवन की गोपनीयता को मीडिया बड़ी आसानी से भंग कर रही है।

आज गोपनीयता और व्यक्तिगत निजता बनाए रखने के लिए पूरे विश्व में अनेकों कानून बने हैं किंतु फिर भी मीडिया की घुसपैठ से लोगों की निजता प्रभावित होती है। भारतीय संविधान में निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजता की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है पर आज मीडिया में सनसनीखेज कवरेज का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है इस सनसनीखेज कवरेज में जनहित के मुद्दे कम है और व्यक्ति की निजता भंग करने के मामले अधिक जिनका लोकल्याण से कोई वास्ता नहीं है। आज स्टिाग आपरेशनों की तादात बढ़ती ज रही है और पीत पत्रकारिता के जरिए लोगों की गोपनीयता भंग कर टीआरपी बढ़ाने की जंग तेज है आज मीडिया में

सेलेब्रिटीज और राजनेताओं या किसी फेमस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कहानियां तस्वीरें और वीडियोज के जरिए लोगों को मसाला कवरेज पेश की जा रही है जिससे लोगों की व्यक्तिगत गोपनियता पर असर पड़ रहा है।

पापाराज्जी की अवधारणा ही मीडिया की व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ का जीता जागता उदाहरण है। किसी की भी संदिग्ध फोटोस खीच कर प्रकाशित करना और प्रसारित करने की प्रथा आज आम हो गई है बीच पर नहा रही अदाकारा की छिप कर फोटो खीचना और फिर बिना उसे बताएं प्राकशित और पंसारित करने के मामले आज आम तौर पर देखने को मिल जाते हैं। पापाराज्जी सीधे तौर निजता को भंग करता है और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर देता है। मीडिया में स्टिंग आपरेशनों की बढ़ती संख्या पर नजर डाले तो कुछ आपरेशनों को छोड़ कर अधितर स्टिंग ऑपरेशनव्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं की कवरेज को प्रदर्शित करते हैं। आज मीडिया आम तौर पर किसी के भी जीवन की व्यक्तिगत घटनाओं की छिपकर कवरेज करके बिना उससे पूछे उसका प्रकाशन प्रसारण कर रही है। आम तौर पर मीडिया की घुसपैठ आज किसी के भी बेडरूम तक पहुंच जाती है और पीत पत्रकारिता और पापाराज्जी और अन्य तरह से व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रही है।

6.3.1 अंतराष्ट्रीय कानून के तहत गोपनीयता

समाज का आधार कुछ मर्यादाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधारित होता है। किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में निजता को बनाए रखने का अधिकार अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी प्राप्त है। सरकार या निगमों के द्वारा व्यक्तिगत जीवन में आक्रमण के खिलाफ विश्व के अनेक देशों में गोपनीयता को लेकर कानून बने हुए हैं। विश्व के कुछ देशों में निजता को संविधान में शामिल कर लोगों को व्यक्तिगत निजता का अधिकार प्रदान किया गया है। किसी न किसी रूप में हर देश में गोपनीयता की सीमा को निर्धारित किया गया है। सन् 1940 के बाद गोपनीयता अंतराष्ट्रीय कानून का हिस्सा रही है। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करने के लिए कानून बने हुए हैं और किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता कानूनी संरक्षण का क्षेत्र है और इसकी आवश्यकता को देखते हुए लगभग सभी देशों में व्यक्तियों की व्यक्तिगत निजता को बनाएं रखने के लिए कानून मौजूद हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत सार्वभौमिक तौर पर मानवाधिकार की घोषणा और अनुच्छेद 12 के तहत ही नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय अनुबंधन है। किसी के सम्मान और ख्याति, परिवार ,घर या पत्रव्यवहार पर मनमाना हस्ताक्षेप अमान्य है जिससे कि व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनियता प्रभावित हो रही हो, ऐसे हस्ताक्षेप के विरूद्ध कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है।

यूरोपीय कंन्वेंशन के अनुच्छेद 8 में निजी, पारिवारिक जीवन, घर और पत्राचार के लिए सम्मान के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है जिससे व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनिया को बनाएं रखा जा सके। ब्रिटेन में धारा 2 में यह उल्लेख किया गया है किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में घुसपैठ करना और बिना अनुमति या सहमति के किसी की भी तस्वीर छिपकर खीचना और प्रकाशित करना या निजता को प्रभावित करना स्वरीकार्य नहीं है।

6.3.2 भारतीय कानूनी प्रावधान और गोपनीयता

किसी भी व्यक्ति को जीवन में अपनी निजता बनाएं रखने का अधिकार है। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को निजता या व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मामलों को गोपनीय रखने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति को अपनी गोपनीयता की रक्षा करने का अधिकार है। जनहित के मामलों को छोड़कर अन्य किसी वजह से किसी भी व्यक्ति की गोपनियता को भंग नहीं किया जा सकता है।और यदि कोई इस गोपनीयता को उसकी सहमति के बिना भंग करता है तो यह स्वतंत्रता के अधिकार का हनन माना जाएगा। वर्तमान में मीडिया की घुसपैठ निजी जीवन में बढ़ती जा रही है और व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों को उजागर करने का चलन तेजी से बढ़ा है। सनसनीखेज कवरेज ने आम जनमानस के के काल्याण के मुद्दों को उभारने के बजाए व्यक्तिगत घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। आज मीडिया टीआरपी के चक्कर में लोगों की संदिग्ध तस्वीरें, वीडियोज और व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं की कहानियों को सनसनीखेज तरीके से प्रकाशित प्रसारित कर रहा है जिससे लोगों की व्यक्तिगत गोपनीयता भंग हो रही है। आज नहित के मुद्दे सनसनीखेज पत्रकारिता में कम नजर आते हैं। मीडिया की व्यक्तिगत घुसपैठ से नागरिक अधिकरों के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों का भी ह्रास हो रहा है। इन सबको नियंत्रित करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनीयता बनाएं रखने के मीडिया की आचार संहिता और नैतिकता के लिए कानूनी प्रावधान हैं। मीडिया द्वारा यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनीयता भंग की जाती है तो वह न्यायलय के अलावा प्रेस परिषद में भी शिकायत कर सकता है। प्रेस परिषद का कार्य मीडिया पर के कार्यों पर नजर रखना है।

6.4 सनसनीखेज कवरेज

सनसनी फैलाने से तात्पर्य विशेष रूप से कुछ सामान्य या आसमान्य करने से है। यह एक तरीका है ध्यान आकर्षित करने का जो चरम विवाद फैला सकता है। आम तौर पर इसका प्रयोग मीडिया में किया जाता है। अक्सर रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मीडिया में राजनीतिक उलट-पलट, अपराधिक तथा फिल्म और मॉडलिंग जगत के समाचारों को प्रस्तुत करने में सनसनीपरकता एक उपकरण के तौर पर है। सनसनीखेज कवरेज में अक्सर किसी भी विवादास्पद मामलों में जारी बयान और वैज्ञानिको द्वारा पूर्वाग्रह आदि देखने को मिलता है। सनसनीखेज कवरेज की प्रकृति को अक्सर पक्षपातपूर्ण माना जाता है। सनसनीखेज कवरेज में जटिल मुद्दों पर कवरेज की जाती है और उस पर मिस्ट्रीफिकेशन के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर टीआरपी बढ़ाने का कार्य किया जाता है। सनसनीखेज कवरेज किसी भी मुद्दे पर तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। सनसनीपरकता का उद्देश्य रोचकता और पूर्वाग्रह का मिश्रण है जो किसी भी विवादित या जटिल मुद्दे को कवरेज प्रदान करती है। सनसनीखेज कवरेज रसदार कहानियों के जरिए अपने पाठक या श्रोता वर्ग में बढ़ौत्तरी करती हैं।

6.4.1 सनसनीखेज कवरेज : अवधारणा और विकास

सनसनीपरकता के बारे में बहुत सारी धारणाएं है अधिकतर इसका उपयोग टेलीविजन समाचारों में तस्वीरों और फुटेजों के माध्यम से किया जाता है जिससे किसी समाचार के प्रति अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित किया जा सके। माना जाता है कि अधिकतर सनसनीपरक कवरेज पक्षपापूर्ण होती है। मिशेल स्टीफंस अपने एकाउंट आफ हिस्ट्री आफ न्यूज इल्यूस्टे"ट्स में लिखते हैं कि सबसे पहले सनसनीपरकता रोमन एक्टा (जूलियस सीजर द्वारा संस्थापित जनता को जल्द से जल्द सूचित करने के लिए) में पाया जा सकता है उस समय समूदाय में उत्साह भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। 16 वीं व 17 वीं सताब्दी में नैतिकता का सबक सिखाने के लिए उस समय की पुस्तकों में इसको प्रयोग देखा जा सकता है। इसके बाद जादू की कलाओं में इसका प्रयोग बढ़ा। आज मीडिया में सनसनीपरकता लोगों को आकर्षित करने का एक उपकरण बन गया है। सनसनीखेज कवरेज किसी भी विषय में उत्सुकता भर देती है जिससे वह सूचना रोचक बन जाती है।

6.4.2 इलेक्ट्रानिक मीडिया में सनसनीखेज कवरेज

इलेक्ट्रानिक मीडिया या रेडियो और टेलीवीजन में सनसनीखेज कवरेज की बात करें तो अक्सर कुछ फुटेज और वाइस सुनने को मिलते हैं जो समचार का रूप धारण किए होते हैं पर उनका जनहित से कोई वास्ता न होकर विवाद या रोमांश से वास्ता होता है।टीवी चैनलों पर आज ज्यादतर सनसनीखेज कवरेज की जा रही है। टीआरपी की दौड़ में शामिल समाचार चैनल स्टिंग ऑपरेशन और पीत पत्रकारिता के जरिए सनसनी फैलाने में माहिर हो गए हैं। एकतरफा या पक्षपातपूर्ण इन प्रसारणों में रोमांच का पुट लोगों को आंखें गड़ा कर देखने को प्रोत्साहित करता है। लोगों की दूसरों की व्यक्तिगत जिंदगी में झाकने की आदत इस तरह के प्रसारणों का मुख्य पहलु हैं। मीडिया की किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में बढ़ती घुसपैठ ने सनसनीगत कवरेज को बढ़ाया है। टीवी में अैसर ऐसे फुटेज और तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो लोगों के व्यक्तिगत निजता से संबंधित हैं इस तस्वीरों और फुटेजों की कवरेज सनसनीपरकता का उदाहरण हैं।

6.5 स्टिंग ऑपरेशन

स्टिंग ऑपरेशन किसी अपराधी व्यक्ति को पकड़ने के लिए भ्रामक ढंग से बुना गया एक जाल है जिसमें उस व्यक्ति को फसा कर पकड़ा जा सके। स्टिंग ऑपरेशन का उद्देश्य किसी अपराधी या अपराध के विषय में पता लगाना है। स्टिंग ऑपरेशन की शैली इस प्रकार की होती है कि अपराधी यह न समझ सके कि उसको फसाया जा रहा है। इस तरह के ऑपरेशन में अपराधी के खिलाफ सबूत जुटाएं जाते हैं जिससे कि उसको दोष साबित किया जा सके। मीडिया में बहुत से स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं जिन्होंने लागों के अपराध को उजागर किया है। अक्सर मीडिया ही बड़े-बड़े घोटालों को उजागर करता है इसके लिए मीडिया को स्टिंग आपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। स्टिंग आपरेशनों के जरिए अपराध

जगत के छिपे तथ्यों को उजागर किया जाता है। यदि कभी सरकार द्वारा किए गए कार्यों में घोटाले की संभावना या कोई गुप्त खबर मीडिया के हाथ लगती है तो उस कार्य का ब्यौरा भी स्टिंग ऑपरेशनों द्वारा किया जाता है। और यदि कोई घोटाला हुआ होता है तो वह सनसनीखेज तरीके से उभरकर सामने आ जाता है।

6.6 पापाराज्जी

पापाराज्जी इटेलियन शब्द पापारात्सो से बना है जो इलेलियन शब्द का बहुबचन है जिसका मतलब ऐसे फोटोग्राफर से है जो सेलेब्रिटीज के फोटोज निर्भीक होकर खींच सके। 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अखबारी फोटोग्राफरों का एक बिल्कुल नया पेशा सामने आया। यह लोग राजनीति, खेल, फ़िल्म या किसी भी विभाग के प्रसिद्ध व्यक्ति का पीछा करते और उनके दैनिक जीवन के ऐसे तथ्यों को अपने कैमरे में सुरक्षित कर लेते हैं जो देखने वालों के लिए अत्याधिक रोचक और सनसनीखेज होते थे। पापाराज्जी फोटोग्राफर फोटोग्राफी की दुनिया में विशेष रूप से बदनाम हैं क्योंकि उनके जासूसी कैमरों की आंखें कला जगत के विख्यात सितारों का पीछा करती रहती हैं और उन प्रसिद्ध कलाकारों के लिए तनहाई में एक क्षण भी बिताना मुशकिल हो जाता है। पापाराज्जी फ़ोटोग्राफ़रों के बारे में पहली बार 50 के दशक में सुना गया था जब रोम के कुछ युवा फ़ोटोग्राफ़रों ने मिस्र के शाह फ़ारूक के कुछ निजी चित्र प्रकाशित करा दिए थे। लेकिन उस समय तक पापाराज्जी शब्द चर्चित नहीं हुआ था बल्कि ऐसे लोगों की चर्चा स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़र जैसे अपमानजनक नाम से की जाती थी। इन लोगों के पेशे को लेकर उस समय काफी आलोचना शुरू हो गई जब राजकुमारी डायना की एक दुर्घटना में मौत हो गई। इस कार दुर्घटना के बारे में एक विचार यह था कि यह सब पापाराज्जी फ़ोटोग्राफ़रों का किया धरा है जो कि राजकुमारी डायना और उनके प्रेमी की फोटो लेने के लिए शिकारी कुत्तों की तरह उन का पीछा कर रह थे। मूलरूप से पापाराज्जी नाम एक फ़िल्म के वजह से प्रसिद्ध हो गया। जब 1960 में प्रसिद्ध इतालवी निर्देशक कार फेडरिको फ्लेनी ने उस नौजवान फोटोग्राफर के जीवन पर फ़िल्म बनाने का इरादा किया जिसने सबसे पहले एक रेस्त्रां में शाह फ़ारूक़ की एक ऐसी फ़ोटो ली थी जिस में वह ग़ुस्से में आपे से बाहर दिखाई दे रहे थे और क्रोध की अवस्था में एक मेज उलटा रहे थे। फिल्म में इस पात्र का नाम कोरिओलानो पापारात्सो रखा गया था।

फेडरिको फ्लेनी की वह फ़िल्म अब क्लासिक फिल्मों की श्रेणी में आती है हालांकि आज का दर्शक उसे बहुत ही सुस्त या धीमी फिल्म कहेगा लेकिन इस फिल्म ने भाषा पर इतना एहसान ज़रूर किया कि उसके शब्द कोश में एक नए शब्द की वृद्धि कर दी, और पापारात्सी शब्द प्रयोग में आ गया। निर्देशक फेडरिको फ्लेनी से एक बार पूछा गया कि उन्हें अपने पात्र के लिए यह नाम सूझा कैसे तो उन्होंने बताया कि एक अंग्रेज पर्यटक के पुराने सफरनामे में एक सराय की चर्चा है जिस के मालिक का नाम पापारात्सो था बस वही यह नाम मेरे दिमाग में चिपका हुआ था और फिल्म में फोटोग्राफर के पात्र के लिए अभिनेता मारसीलो मास्त्रियानी का चयन किया गया तो उन्हें भी यह नाम बहुत पसंद

आया। लेकिन उस समय दोनों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा और अन्य भाषाओं को एक एकदम नया शब्द दिया है।

6.6.1 पापाराज्जी पर प्रतिबंध और कानून

पापाराज्जी की कार्यप्रणालियों को देखते हुए कुछ देशों (खास कर यूरोप में) ने इनकी गतिविधियों पर कर्फ्यू कानून के तहत रोक लगा रखी है लेकिन पापाराज्जी किसी विशेष अवसर या इवेंट में अनुमति से फोटो खीच सकते हैं। जर्मनी और फ्रांस में लोगों की फोटो को प्रकाशित करने के लिए उनसे अनुमति लेना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निजी संपत्ति पर किसी सेलेब्रिटी की फोटो खीचते समय पापाराज्जी किसी भी कानून को तोड़ नहीं सकते और चुपके से किसी की निजता को भंग करने वाली फोटो खींच नहीं सकते हैं। सरकार या निगमों के द्वारा व्यक्तिगत जीवन में आक्रमण के खिलाफ विश्व के अनेक देशों में गोपनीयता को लेकर कानून बने हुए हैं। विश्व के कुछ देशों में निजता को संविधान में शामिल कर लोगों को व्यक्तिगत निजता का अधिकार प्रदान किया गया है। किसी न किसी रूप में हर देश में गोपनीयता की सीमा को निर्धारित किया गया है। सन् 1940 के बाद गोपनीयता अंतराष्ट्रीय कानून का हिस्सा रही है। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करने के लिए कानून बने हुए हैं और किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता कानूनी संरक्षण का क्षेत्र है और इसकी आवश्यकता को देखते हुए लगभग सभी देशों में व्यक्तियों की व्यक्तिगत निजता को बनाएं रखने के लिए कानून मौजूद हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत सार्वभौमिक तौर पर मानवाधिकार की घोषणा और अनुच्छेद 12 के तहत ही नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय अनुबंधन है। किसी के सम्मान और ख्याति, परिवार ,घर या पत्रव्यवहार पर मनमाना हस्ताक्षेप अमान्य है जिससे कि व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनियता प्रभावित हो रही हो, ऐसे हस्ताक्षेप के विरूद्ध कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। यूरोपीय कंवेशन के अनुच्छेद 8 में निजी, पारिवारिक जीवन, घर और पत्राचार के लिए सम्मान के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है जिससे व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनिया को बनाएं रखा जा सके। बिंटेन में धारा 2 में यह उल्लेख किया गया है किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में घुसपैठ करना और बिना अनुमति या सहमति के किसी की भी तस्वीर छिपकर खीचना और प्रकाशित करना या निजता को प्रभावित करना स्वरीकार्य नहीं है।

6.7 पीत पत्रकारिता

पीत पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान-खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। पत्रकारिता की वह विधा जिसमें समाचार तत्व की सच्चाई को गौण कर नकारात्मक या बुरे कार्यों से संबंधित हिंसात्मक, उत्तेजनात्मक तथा विस्मयकारी कौतूहल भरे समाचारों को प्रमुखता से प्रकाषित किया जाता है, उसे पीत पत्रकारिता कहा जाता है। एकतरफा पक्षपातपूर्ण भावलेखन, भ्रमोत्पादक शीर्षक एवं तुच्छ बात पर अत्यधिक जोर देकर समाचार तत्व के साथ छेड़छाड़ करना,

सनसनी और उत्तेजना फैलाना पीत पत्रकारिता की प्रवृति होती है। आज मीडिया में व्यवसायवाद के कारण ब्लैकमेलिंग की बातें देखी जाती हैं। भारतीय संस्कृति में पीत जहां शुभ, ब्रह्मचर्य एवं मंगल का प्रतीक बताया गया है वहीं इसे लोभ का पर्याय भी कह दिया जाता है, जबकि पत्रकारिता में पीला मनगढंत, भ्रमोत्पादक एवं प्रतिष्ठाविहीन क्रियाकलाप माना जाता है। पीत पत्रकारिता वस्तुतः अर्थलिप्सा का ही पर्याय है। कई बार किसी समाचार के आंतरिक तथ्यों की खोजखबर के पीछे पत्रकार का अपना पेशेगत कर्तव्य बोध या अंतः प्रेरित उत्साह न होकर एक पूर्वाग्रही मनोविकार हावी होता है। इसके चलते वह आंतरिक पड़ताल के बजाय अंतरंग पड़ताल की रंगीनियत में खो जाता है। इससे खबर मूल रूप में ही विकृत हो जाती है। पाश्चात्य विद्वान ओसवाल्क गैरीसन विलार्ड ने ऐसी छद्म पत्रकारिता को गटर पत्रकारिता कहा है तथा संपादक चार्ल्स ए डाना ने इसे येलो प्रेस कहा है। गटर का अर्थ गंदा जीवन या नाली या सामाजिक अधः पतन से है। जोसेफ पुलित्जर (1847-1911) को अमरीका में पीत पत्रकारिता का जनक माना जाता है। सन् 1893 ईस्वी में "दि वर्ल्ड'' पत्र में रंगीन मुद्रण की व्यवस्था हुई। इससे पाठकों में आकर्षण बढा और पत्र की बिक्री बढने लगी। 'दि वर्ल्ड' में प्रकाशित प्रत्येक कार्टून का मुख्य पात्र एक दंतहीन छोटा गोलमटोल सा पीले ढीले-ढाले वस्त्र पहने होता था। यह 'येलो किड' बहुचर्चित हो गया जो बाद में उत्तेजनात्मक और सनसनीखेज पत्रकारिता का प्रतीक बन गया। यहीं से Yelloe Journalism का सूत्रपात हुआ।

विलियम रेन्डोल्फ हर्स्ट एक दूसरा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अपने पत्र 'एक्जामिनर' के लिए पर्याप्त वेतन देकर 'दि वर्ल्ड' के कुशल पत्रकारों को बुला लिया। "दि वर्ल्ड" से आगे निकलने की होड़ में सनसनी फैलाने वाले समाचारों को प्रमुखता से स्थान दिया गया। हर्स्ट ग्रुप के लेखकों ने लीड पैराग्राफ में प्रेम, वासना, घृणा और अपराध से संबंधित मामलों को रमणीय साज-सज्जा और मनोहारी रंग-बिरंगे चित्रों और चटखारेदार शीर्षक व मसालेदार चटपटी भाषा के साथ प्रस्तुत किया। इस सारी कवायद ने उस दौर में 'एक्जामिनर' को दैनिकों का सम्राट बना दिया। हालांकि बाद में अपनी दूरदृष्टि के चलते पुलित्जर ने पीत पत्रकारिता से तौबा कर ली, लेकिन हर्स्ट ने इस बात को गौर नहीं किया कि इससे पाठक का विश्वास उस पत्र से उठ सकता है और पत्र की गरिमा व स्थायित्व को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। पीत पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता में ठीक-ठीक विभाजक रेखा खींचना तो बड़ा मुश्किल भरा काम है। यह सब नजरिए पर निर्भर करता है। जैसे आरंभ में जब 'वाशिंगटन पोस्ट' में 'वाटरगेट कांड' का छिटपुट प्रकाशन हुआ तो अधूरे तथ्यों के साथ इसे पीत पत्रकारिता कहा गया। बाद में जब रहस्य का पर्दाफाश हुआ तो विश्व में यही 'वाटरगेट कांड' खोजी पत्रकारिता का उदाहरण बन गया।

6.8 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आप व्यक्ति की गोपनीयता और उसमे मीडिया की घुसपैठ के बारे जान गए होंगे कि किस प्रकार से मीडिया व्यक्ति की व्यक्तिगत जिंदगी को उसकी अनुमति के बगैर प्रकाशित और प्रसारित कर रहा है जिससे किसी की व्यक्तिगत गोपनीयता प्रभावित हो रही है, साथ ही अपने व्यक्तिगत गोपनीयता को बनाये रखने के लिए कौन-कौन से

कानून और प्रावधान है यह भी जान गए होंगे| मीडिया में सनसनीखेज कवरेज के बारे में भी आपने जान लिया होगा कि स्टिंग आपरेशन के जरिए कैसे खोजी पत्रकारिता की जाती है| इकाई में पापारात्सी के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई होगी साथ ही पीट पत्रकारिता के विषय में भी जान गए होंगे|

6.9 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. **अतिलघु उत्तरीय प्रश्न**

    - येलो किड क्या है?
    - टीआरपी का पूरा नाम लिखिए?
    - पापाराज्जी कौन-सी भाषा के शब्द से बना है?
    - अनुच्छेद 21 में क्या उल्लेखित किया गया है?

उत्तरीय प्रश्न

2. पापाराज्जी पर टिप्पणी लिखिए।
3. पीत पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

4. गोपनीयता में मीडिया की घुसपैठ और कानूनी प्रावधान की चर्चा कीजिए।
5. मीडिया की सनसनीखेजता से आप क्या सेझते हैं? मीडिया में स्टिंग आपरेशन को परिभाषित कीजिए।

6.10 उपयोगी पुस्तकें

1. द्विवेदी, मनीषा (2006). पत्रकारिता एवं प्रेस कानून. नई दिल्ली: कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर.

2. प्रो. त्रिखा, नंदकिशोर (2007). प्रेस विधि. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन.